मध्यप्रदेश पंचायिका

मार्च 2013

प्रबंध सम्पादक

विश्वमोहन उपाध्याय

सम्पादक

राजीव तिवारी

भगवान दास भुमरकर

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल

भोपाल-462011

फोन : 2764742, 2551330

फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

मध्यप्रदेश पंचायत सचिव महासंघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव।

विगत दिनों मीडिया अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव एवं अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा।

विभागीय गतिविधियाँ : ग्राम सरपंच को अब 15 लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार 03

आवरण कथा : गाँवों में विकास कार्य की गति बढ़ाई जाये 11

पंचायत गजट : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 15

प्रशिक्षण : जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का पद से हटना 25

कानून चर्चा : वरिष्ठ कार्यालयों से पत्र व्यवहार करने की आदर्श पद्धति 27

महत्वपूर्ण खबरें : अनुसूचित वर्ग के छात्रावासों में तीन हजार सीट की वृद्धि 31

खास खबरें : नर्मदा शुद्धिकरण के लिये 1300 करोड़ की योजना पर अमल शीघ्र 33

पुस्तक चर्चा : पंचायत भवन निर्माण संबंधी दो उपयोगी प्रकाशन 36

विशेष : परियोजना ने बदली कृषक की ज़िन्दगी 37

उपलब्धि : शिक्षित कृषक ने आधुनिक कृषि के लिए गांव वालों को प्रेरित किया 39

दृश्य-परिदृश्य : संस्कृत के अध्ययन से भारत बनेगा सिरमौर 41

योजना : तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये समूह बीमा योजना 43

खेती किसानी : पपीते की व्यावसायिक खेती से लाभ कमायें 45

आपकी बात : सही व्यक्ति को सही भुगतान जरूरी 47

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठकों,

मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिये ग्राम सरपंच के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर पन्द्रह लाख रुपये किये गये हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के क्रियान्वयन से विकास कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं। उन्होंने गाँव में पंच-परमेश्वर योजना के तहत बन रही सी.सी. रोड की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसी खबर को हमने 'विभागीय गतिविधियाँ' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर प्रभावी अमल हो रहा है। प्रदेश के समग्र विकास के लिये गाँव का विकास जरूरी है और गाँव में विकास कार्य की गति बढ़ाई जाने के लिये गाँव में जनकल्याणकारी योजनाओं के अमल में तेजी लानी होगी। इसी खबर को हमने 'आवरण कथा' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और योजनाओं का लाभ सभी तक पहुँचाने के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसी जानकारी को 'पंचायत गजट' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। 'प्रशिक्षण' स्तम्भ में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा अपने कर्तव्यों और अधिकारों के दुरुपयोग करने पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। यह जानकारी प्रकाशित की जा रही है। पंचायत राज संस्थायें पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत अपना दैनिक कार्य सम्पन्न करती हैं। इस दौरान उन्हें अपने वरिष्ठ कार्यालयों से पत्र व्यवहार करना पड़ता है जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश पंचायत पत्र व्यवहार नियम 1995 में किया गया है। 'कानून चर्चा' स्तम्भ में इसी जानकारी को प्रकाशित किया गया है। विगत दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बांद्राभान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव समारोह में कहा कि नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है और इसे प्रदूषण से बचाने के लिये तथा मध्यप्रदेश में नर्मदा जल को शुद्ध रखने के लिये 1300 करोड़ रुपये लागत की कार्ययोजना बनाई गई है। इस खबर को हमने 'खास खबरें' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कई हितग्राहीमूलक योजनाओं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से जो लोग लाभान्वित होते हैं, वे दूसरों के लिये प्रेरणास्रोत हो सकते हैं। उनकी तथा-कथा को 'उपलब्धि' स्तम्भ में स्थान दिया गया है। विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कहा कि संस्कृत संसार की सबसे समृद्ध भाषा है और इसके अध्ययन से भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। इसी जानकारी को हमने 'दृश्य परिदृश्य' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। इस माह 'योजना' स्तम्भ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये समूह बीमा योजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ फलदार पौधों की व्यावसायिक खेती पर भी आजकल जोर दिया जा रहा है। इस जानकारी को हमने 'खेती किसानी' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। और अंत में आपके पत्रों को 'आपकी बात' स्तम्भ में प्रकाशित किया गया है। यह पत्र हमें अपनी गल्तियों और योजनाओं का फीडबैक देते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

ग्राम सरपंच को अब 15 लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिये ग्राम सरपंच के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर 15 लाख रुपये किये गये हैं। इस अवसर पर उन्होंने पंच परमेश्वर योजना के तहत गाँवों में बन रही सी.सी. रोड से गाँव के परिवेश में आ रहे बदलाव की सराहना भी की।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिये ग्राम संरपच के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर 15 लाख रुपये किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में सम्पन्न हो रहे विकास कार्यों में मनरेगा के कन्वर्जेंस के लिये प्रत्येक कार्य के लिये मजदूरी तथा निर्माण सामग्री के रूप में60:40 का अनुपात रखा जाना आवश्यक नहीं है वरन पंचायत स्तर पर 60:40 के अनुपात को रखा जाना पर्याप्त है। श्री भार्गव गत दिनों विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक ले रहे थे।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा सहित विभागीय अधिकारियों ने मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, पंच-परमेश्वर योजना, मर्यादा अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री आवास मिशन की प्रगति से अवगत करवाया। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

बैठक में विधायक श्री हेमराज कल्पोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अन्तर्गत ग्रामीणों को गाँव की आबादी के आसपास की जमीन पर आवास निर्माण के लिये अनुमति दी जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि गाँव की आबादी में शासकीय भूमि की अनुपलब्धता से आवासहीन ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए इस बारे में विचार किया जाये। विधायक श्री रमेश भटेरे ने 10 वर्ष से अधिक पुराने स्टापडेम के संधारण और उनके लिये कड़ी शटर्स उपलब्ध करवाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर पुराने स्टापडेम को उपयोगी बनाया जा सकता है। श्री भटेरे ने कपिलधारा योजना में हितग्राहियों के नवीन कूप निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दिये जाने की बात कही। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण और उनके स्थानान्तरण की नीति पर भी चर्चा हुई। सदस्यद्वय ने पंच-परमेश्वर योजना के जरिये गाँवों में बन रहे सीसी रोड से गाँव के परिवेश में आ रहे बदलाव की सराहना की। बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉ. राजेश राजौरा, सचिव सामाजिक न्याय श्री व्ही.के. बाथम, आयुक्त पंचायत राज श्री विश्वमोहन उपाध्याय सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संविदा आधार पर चयनित संविदा उपयंत्रियों के प्रशिक्षण का राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आयोजित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये संविदा उपयंत्रियों को सड़क, ब्रिज तथा कलवर्ट निर्माण से संबंधित विभिन्न मापदण्ड और तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर भी निर्माणाधीन सड़कों और पुलों का अवलोकन/भ्रमण करवाया जा रहा है।

ग्राम विकास के कार्य अन्य राज्य के लिये प्रेरणा-स्रोत बनें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी अपनी मेहनत और कर्मठता से गाँव की तस्वीर को बदलें। ग्राम विकास के ऐसे बेहतर कार्य हों, जो अन्य राज्यों के लिये प्रेरणा-स्रोत बनें। श्री भार्गव गत दिनों मध्यप्रदेश पंचायत सचिव महासंघ और मध्यप्रदेश ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री शिव चौबे भी मौजूद थे। श्री भार्गव ने कहा कि पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की उचित माँग और अपेक्षाओं के प्रति राज्य शासन सजग है। राज्य सरकार ने अल्प वेतन प्राप्त कर रहे पंचायत कर्मचारियों को जरूरी सुविधा और बेहतर वेतनमान प्रदान किये हैं। पंचायत सचिवों की कल्याणकारी अंशदायी पेंशन योजना के बारे में पहले ही फैसला लिया जा चुका है। भविष्य में अनुकम्पा नियुक्ति तथा बीमा राशि में बढ़ोत्तरी के बारे में भी विचार कर उचित निर्णय लिये जायेंगे। श्री भार्गव ने इस अवसर पर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निर्मल ग्राम-पंचायत बनाये जाने की आवश्यकता भी बताई। श्री भार्गव ने बताया कि वर्ष 1995 में पंचायतकर्मियों की 500 रुपये माहवार पर संविदा नियुक्ति की गई थी। मौजूदा राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों का वेतनमान 7 हजार रुपये तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा ग्राम-पंचायतों में एक-एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अब तक 19 हजार ग्राम-पंचायतों में नियुक्ति का काम पूरा हो चुका है। ग्राम रोजगार सहायक की मदद से ग्राम-पंचायतों की विभिन्न योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन हो सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिये संविदा उप-यंत्रियों की नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। प्रदेश में अन्य विभाग की तुलना में अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा इंजीनियर पदस्थ हैं। पिछले 50 वर्ष में पहली बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभागीय संरचना को मजबूत बनाने की कार्यवाही की गई है। कार्यक्रम के प्रारंभ में संरक्षक श्री आर.पी. शुक्ला सहित प्रांतीय पदाधिकारियों ने श्री गोपाल भार्गव और श्री शिव चौबे को पुष्पहार भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश पंचायत सचिव महासंघ के अध्यक्ष श्री अशोक बोहरे और ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ के श्री परमार सहित अन्य प्रतिनिधियों ने माँग-पत्र का वाचन किया। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

ई-पेमेंट से मजदूरी भुगतान में बालाघाट देश में प्रथम

बालाघाट जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र की पंचायतों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों को गाँवों में ही त्वरित भुगतान की व्यवस्था ई-पेमेंट द्वारा की गई है। ई-पेमेंट की इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की राशि जिला-स्तर से सीधे जॉब कार्डधारकों के बैंक खाते में ग्राम पंचायत से डिमांड आने के मात्र कुछ घंटों में जमा करवा दी जाती है।

ई-पेमेंट व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये जिले में "निदान" नाम का साफ्टवेयर तैयार किया गया है। ई-पेमेंट की व्यवस्था अब तक जिले की 693 ग्राम पंचायत में से 270 में लागू की जा चुकी है। अब इसे माओवाद प्रभावित एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र की पंचायतों में भी लागू किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अल्ट्रा स्माल ब्रांच द्वारा जॉब कार्डधारकों के खाते खोले जा रहे हैं। इस माह में सभी पंचायतों में खाते खोल दिए जायेंगे। आदिवासी बहुल एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्र के ग्राम रिसेवाड़ा, अंधियार टोला, बम्हन गाँव, अमेड़ा-व,

(शेष अगले पृष्ठ पर)

ग्रामीण विकास योजनाओं को लोगों तक पहुँचायें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मनरेगा और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी प्रचार-प्रसार माध्यमों के जरिये लोगों तक पहुँचायी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण अंचलों की बदली हुई नयी तस्वीर और ग्रामीण जन-जीवन में आये सकारात्मक बदलाव को मीडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाये। श्री भार्गव गत दिनों मनरेगा अंतर्गत 16 जिलों में पदस्थ मीडिया अफसरों की कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने मीडिया अधिकारियों को कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्रीमती शर्मा ने मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए हुई कार्यवाहियों के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। उन्होंने मीडिया अधिकारियों को एक-एक जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का निर्देश दिया। श्रीमती शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने वाली सफलता की कहानियों को प्रचारित एवं प्रसारित करवाया जाए। आयुक्त मनरेगा डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने मनरेगा के कार्य को हक से मांगने के लिए आम व्यक्ति को जागरूक करने पर जोर दिया।

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के निदेशक श्री अजय चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान में जनसंपर्क अधिकारियों की भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब प्रचार-प्रसार के लिए नवीन तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर उन्हें हितग्राहियों तक व्यापकता से पहुँचा जा सकता है। उप निदेशक दूरदर्शन (न्यूज) श्री विनोद नागर ने कहा कि समाचारों के स्त्रोत विकसित करें। इसके साथ ही हितग्राहियों के जीवन में आये बदलाव संबंधी कहानियों की समाचार कथाएँ नियमित रूप से प्रकाशित की जाये।

आकाशवाणी की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती वर्षा शर्मा ने हितग्राहियों को आकाशवाणी से जोड़ने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से और बेहतर तरीके से योजना का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। कार्यशाला को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के डॉ. पवित्र श्रीवास्तव और श्री संजय द्विवेदी तथा संयुक्त आयुक्त मीडिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री देवेन्द्र जोशी ने भी संबोधित किया।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

ओटेकसा, नेवरवाही एवं कंसूली में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कियोस्क लगाकर गाँवों में ही मजदूरी का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। इसी प्रकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्षेत्र के गाँवों में भी जॉब कार्डधारकों के खाते खोले जा रहे हैं। पूर्व में इन ग्रामीणों को बैंक सुविधा के लिए 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करना होती थी। मजदूरी का भुगतान विलंब से होता था।

उपयोगी है निदान सॉफ्टवेयर - मनरेगा कार्य के मस्टर रोल की कम्प्यूटर में एन्ट्री की जाती है। इस फाइल को ई-मेल द्वारा जिला पंचायत को भेज दिया जाता है। ई-मेल प्राप्त होते ही राशि मजदूर के खाते में जमा करवा दी जाती है।

निदान साफ्टवेयर मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने में भी कारगर सिद्ध हो रहा है। इसके द्वारा तैयार मस्टर रोल में बिना बैंक खाते के किसी भी मजदूर की एन्ट्री नहीं हो सकती। सामग्री भुगतान के मामले में भी किसी भी बिल की बिना टिन नंबर के एन्ट्री नहीं होती।

ई-पेमेंट की इस व्यवस्था में मजदूरी भुगतान के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय, स्कूली बच्चों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, गणवेश और साइकिल की राशि भी ग्रामीणों के बचत खाते में जमा की जाएगी।

गाँवों में बढ़ाएं विकास कार्यों की गति - गोपाल भार्गव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव एवं मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने गत दिनों वीडियो कान्फ्रेन्सिंग परख में कमिश्नरों और कलेक्टरों से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। परख में योजनाओं की प्रगति, विशेष रूप से मजदूरी भुगतान के संबंध में चर्चा हुई। इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मर्यादा अभियान, मनरेगा और पंच-परमेश्वर योजनाओं की गति तेज करने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जनता को दी जाने वाली सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। परख में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण और मरम्मत के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गयी। इसके साथ ही आगामी गेहूँ उपार्जन कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेष रूप से किसानों के पंजीयन, बारदाना व्यवस्था, भंडारण, उपार्जन केन्द्रों की तैयारियों और परिवहन व्यवस्थाओं से संबंधित निर्देश दिए गए। गेहूँ उपार्जन का कार्य आगामी 18 मार्च से शुरू हो रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य में अनिश्चितता की स्थिति न आए इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग 'परख' में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे विकास कार्यों की गति और तेज की जाये। उन्होंने कहा कि मर्यादा अभियान, मनरेगा, पंच-परमेश्वर योजना आदि किसी में भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

मुख्य सचिव श्री परशुराम ने परख के दौरान राजस्व विभाग द्वारा ओला प्रभावितों के लिए दी गई सहायता की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर बताया गया कि प्रदेश में 106 करोड़ की राशि ओला प्रभावित और 56 करोड़ की राशि पाले से प्रभावित क्षेत्रों के लिए दी गई है। जिलों में राशि का वितरण भी प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में 106 तहसीलों में ओला और 99 तहसीलों में पाला से फसलों की क्षति हुई है। प्रदेश के कुछ जिलों में 10 हजार से अधिक राजस्व प्रकरण का निराकरण किया गया है। ये प्रकरण शिविरों के माध्यम से निराकृत किए जा रहे हैं। अविवादित नामांतरण निपटाने का अभियान भी चल रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त राजस्व कर्मियों की सेवाओं को लेने और राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं। आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ने जिलों में टोलों मजरों को राजस्व ग्राम बनाने के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने शासकीय भूमि निजी नामों से रिकार्ड में आने के कुछ प्रकरण में जाँच और ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई, ई-सिक्युरिटी के लिए नए साफ्टवेयर के विकास और फसलों की कटाई के लिए आउटसोर्स पद्धति के प्रयोग, तहसीलों में राजस्व रिकार्ड के डिजीटलाइजेशन के संबंध में जानकारी दी।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एम.एम. उपाध्याय ने कहा कि ओला प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए आवश्यक निर्देश जिलों में भेजे गए हैं। इसके अनुसार जिलों में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें बुलाई जायेंगी। ऐसे कृषक जिनकी शत-प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है, उनके प्रकरण बैठक में प्रस्तुत होंगे और आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। परख में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव खाद्य श्री अंटोनी डिसा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मनरेगा की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए दिया जायेगा प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास से संबंधित मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, बुंदेलखंड पैकेज एवं सामाजिक न्याय से संबंधित पेंशन योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य ने गत दिनों भोपाल में विकास आयुक्त कार्यालय में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं। श्री प्रदीप जैन ने कहा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) केन्द्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रत्येक राज्य यह प्रयास करे कि इस कार्यक्रम का फायदा गाँव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सही रूप में पहुँचे। उन्होंने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनीटरिंग को और मजबूत किये जाने पर जोर दिया।

बैठक में श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगामी दो माह में इस योजना से जुड़े 2 लाख व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए 950 करोड़ रुपये की माँग की गई है। मनरेगा में इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2012 तक 2,798 करोड़ रुपये व्यय किये जाकर 1,210 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। इनमें से 232.24 लाख अनुसूचित जाति, 345.07 लाख अनुसूचित जनजाति और 514.33 लाख श्रम दिवस महिला वर्ग के लिए सृजित किये गये हैं।

बैठक में बताया गया कि मनरेगा की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए चीफ विजिलेंस ऑफीसर, क्वालिटी कन्ट्रोल यूनिट, सोशल ऑडिट के लिए विशेष कार्य दल गठित किए जा चुके हैं। आयुक्त मनरेगा डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से 58 प्रतिशत परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया है, जो देशभर में सर्वाधिक है। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा मनरेगा साफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाकर समय-समय पर उन्हें अवगत करवाया गया है। मनरेगा लागू होने के बाद से अब तक साफ्टवेयर में 7 बार परिवर्तित वर्जन जारी किये जा चुके हैं। इससे एम.आई.एस. की एण्ट्री में दिक्कतें आ रही हैं। आयुक्त मनरेगा ने बताया कि भारत सरकार के पोर्टल की गति धीमी होने से भी कार्य प्रभावित हो रहा है। मनरेगा आयुक्त ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत भारत सरकार स्तर की शिकायतों में मात्र 108 शिकायतें शेष हैं। इनमें से भी 26 शिकायतें हाल ही में प्राप्त हुई हैं जिन पर जाँच जारी है। शेष 82 शिकायतें तीन माह पूर्व की हैं जिन पर भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाना है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार को 125 शिकायतों की जाँच की जाकर निराकरण के लिए जानकारी भेजी जा चुकी है। इन125 शिकायतों पर भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

बैठक में बताया गया कि कपिलधारा योजना में अब तक 2 लाख 65 हजार कुओं का निर्माण किया जा चुका है। इन पर लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस योजना से2 लाख 30 हजार परिवारों की आमदनी में इजाफा हुआ है और साढ़े तीन लाख हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के6 जिलों में 51 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रदेश में बुंदेलखंड पैकेज में 1232 सड़कों को जनवरी2013 तक पूरा किया है। केन्द्र सरकार से इस योजना में 4675 किलोमीटर सड़कों पर स्वीकृति मिलना बाकी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

गुणवत्ता के लिए मोबाइल फोन आधारित तकनीक का होगा उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश में बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता को परखने के लिए अब मोबाइल फोन आधारित तकनीक का उपयोग शुरू किया जा रहा है। इस उद्देश्य से नेशनल रूरल रोड एजेंसी द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण का शुभारंभ गत दिनों मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अलका उपाध्याय ने किया। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में देश के 20 राज्यों के स्टेट क्वालिटी को-आर्डिनेटर और 28 नेशनल क्वालिटी मॉनीटर तथा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क एजेंसी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग के वरिष्ठ अधिकारी भागीदारी कर रहे हैं।

श्रीमती अलका उपाध्याय ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है। इससे जहाँ गुणवत्तापूर्ण बेहतर सड़कों के निर्माण में मदद मिलेगी, वहीं समय-समय पर सड़क निर्माण की प्रगति की निगरानी भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस साफ्टवेयर का उपयोग बेहद आसान है। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता के लिए एस.क्यू.सी. और एन.क्यू.एम. के मध्य आपसी समन्वय की आवश्यकता भी बतायी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत से अब तक 62 हजार 304 किलोमीटर लंबी 14 हजार 183 सड़क के निर्माण की मंजूरी मिली है। इनमें 51 हजार 523 किलोमीटर लंबी 11 हजार 268 सड़कों का निर्माण हो चुका है। योजना में 5 वर्ष पुरानी 38 हजार किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का काम किया गया है।

प्रारंभ में एन.आर.आर.डी. के चीफ क्वालिटी को-आर्डिनेटर श्री प्रभाकांत कटारे ने मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन की विशेषताओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में बनायी जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के विभिन्न चरणों की प्रगति की गुणवत्ता के लिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। कार्य-स्थल पर मोबाइल फोन के जरिये सड़क निर्माण के फोटो लिए जायेंगे और उन्हें इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर अपलोड किया जायेगा। जहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहाँ फोटो को ऑफलाइन मोड में रखा जायेगा और बाद में इंटरनेट के जरिये अपलोड करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता को परखने के लिये मोबाइल फोन आधारित तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे गुणवत्तापूर्ण बेहतर सड़कों के निर्माण में मदद मिलेगी।

श्री कटारे ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में पूर्व में अधोसंरचना कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए सड़क अर्थवर्क के काम बड़े पैमाने पर करवाये जाते थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ होने के बाद ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए नवाचारों को अपनाया गया।

इसी उद्देश्य से मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर का उपयोग क्वालिटी मॉनीटरिंग के लिए शुरू किया जा रहा है। श्री कटारे ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के नवाचारों को मॉडल के रूप में अपनाया गया है।

इस अवसर पर प्रमुख अभियंता मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण श्री एम.के. गुप्ता ने मध्यप्रदेश में बनायी जा रही सड़कों की गुणवत्ता के लिए अपनाये जा रहे नवाचारों और तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्य महाप्रबंधक श्री ए.डी. कपाले ने भी विभिन्न उपलब्धियों पर चर्चा की। सत्र के अंत में मुख्य महाप्रबंधक श्री ए.के. मिश्रा ने आभार व्यक्त किया।

मध्यप्रदेश को 84 हजार 358 अतिरिक्त इंदिरा आवास आवंटित

इंदिरा आवास योजना में मध्यप्रदेश को 84 हजार 358 अतिरिक्त इंदिरा आवासों का आवंटन केन्द्र ने किया है। इन आवासों के लिये 290 करोड़ 58 लाख की मंजूरी प्रदान करने के साथ ही केन्द्रीय अंश-दान की 50 प्रतिशत राशि के रूप में 145 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि पहली किस्त में जारी की गई है। आवंटित इन अतिरिक्त इंदिरा आवास में से वन अधिकार अधिनियम 2006 के लाभार्थियों के लिये 53 हजार 360 अतिरिक्त मकान और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिये वासभूमि प्रोत्साहन योजना के 30 हजार 998 अतिरिक्त मकानों की मंजूरी मिली है। अतिरिक्त इंदिरा आवास की मंजूरी मिलने से चालू माली साल में मध्यप्रदेश का आवंटन मूल लक्ष्य का दोगुना हो गया है। इस तरह अब तक मध्यप्रदेश को एक लाख 68 हजार 716 इंदिरा आवास आवंटित हो चुके हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना में 84 हजार 358 मकानों का सामान्य आवंटन प्राप्त हुआ था। इस उद्देश्य से 144 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि चालू माली साल की शुरुआत में केन्द्र ने जारी की थी। चूँकि मध्यप्रदेश को देश के कई राज्य की तुलना में बहुत कम इंदिरा आवास आवंटित हो रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तथा केन्द्रीय मंत्रीगण से बार-बार यह अनुरोध किया था कि प्रदेश की आबादी के मान से पर्याप्त संख्या में इंदिरा आवास आवंटित किये जायें। गरीब ग्रामीणों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के मकसद से गत दिसम्बर माह में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सर्व-सम्मति से शासकीय संकल्प पारित कर केन्द्र से अतिरिक्त इंदिरा आवास आवंटित करने की माँग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में सर्वे में हुई त्रुटियों की वजह से प्रदेश के आवासहीन गरीब ग्रामीण इस अन्याय का शिकार हुए थे। सर्वेक्षण में कच्चे ग्रामीण घरों में लगे कबेलू को टाइल्स की श्रेणी में मान लिया गया था। इस वजह से कच्चे घर पक्के घरों की श्रेणी में दर्ज हो गये।

आज भी प्रदेश के एक करोड़ 11 लाख गरीब ग्रामीण में से करीब 73 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। इस त्रुटिपूर्ण सर्वे की वजह से बिहार, आसाम, उत्तरप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की तुलना में मध्यप्रदेश को बहुत कम संख्या में इंदिरा आवासों का आवंटन हो रहा था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी मध्यप्रदेश को मात्र 84 हजार 358 इंदिरा आवास केन्द्र से आवंटित हुए थे।

इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य के गरीब ग्रामीणों के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कर ऐसे ग्रामीण हितग्राहियों को 70 हजार रुपये लागत के मकान के लिये ऋण-अनुदान योजना शुरू की। इस योजना में अब तक एक लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिल चुकी है।

ई-पंचायत के लिए पंचायतों को 2 अरब 20 करोड़ आवंटित

राज्य शासन ने ई-पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर और अन्य जरूरी सामग्री की खरीदी के लिए 22 हजार 59 ग्राम पंचायतों को 2 अरब 20 करोड़ 59 लाख की राशि आवंटित की है। ई-पंचायत कार्यक्रम में पूर्व में विगत जनवरी माह में 947 ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये के मान से 9 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि यह राशि जिला पंचायतों को प्रेषित की गई है, जो ग्राम पंचायतवार एक-एक लाख की राशि इस उद्देश्य से आवंटित करेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजे गए पत्र में ई-पंचायत कार्यक्रम में राज्य की सभी 23 हजार 6 ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर सामग्री खरीदी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा। इस उद्देश्य से आवंटित राशि को ई-पंचायत कार्यक्रम के संचालन के लिए पंचायत-स्तर पर खोले गए बैंक खाते में रखा जायेगा। यह सामग्री डी.जी.एस.एन.डी. रेट कान्ट्रेक्ट, लघु उद्योग निगम रेट कान्ट्रेक्ट तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन रेट कान्ट्रेक्ट पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए खरीदी जायेगी। इनमें डेस्कटाप कम्प्यूटर, लेजर प्रिंटर तथा स्केनर, पॉवर कंडीशनिंग इक्यूपमेंट/इनवर्टर शामिल हैं। इसके साथ ही आवंटित राशि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 40 इंच का एल.सी.डी. टी.वी. और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीदी की जायेगी।

प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाये रखने के लिये मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत संभागीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।

मनरेगा में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बनाये रखने और प्राप्त जन-शिकायतों की समयबद्ध जाँच के लिए मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत संभागीय सतर्कता समितियों का गठन कर दिया गया है। सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई है। साथ ही हर जिले में मनरेगा लोकपाल भी नियुक्त किए गए हैं।

दस संभाग की संभागीय सतर्कता समिति में 6 अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। चार अध्यक्ष के पास दो-दो संभाग का दायित्व होगा। जबलपुर एवं सागर संभाग की समिति के अध्यक्ष के पास एक-एक संभाग का ही दायित्व रहेगा। प्रत्येक समिति में सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इन सदस्यों को भी विभिन्न जिलों का लोकपाल नियुक्त किया गया है।

भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री कैलाशचन्द्र मनाना संभागीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष होंगे। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया समिति के सदस्य होंगे। श्री मनाना भोपाल,सीहोर एवं रायसेन जिले में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। श्री भदौरिया राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा में मनरेगा के लोकपाल होंगे।

इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शर्मिष्ठा दवे संभागीय सतर्कता समिति की अध्यक्ष होंगी। सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश श्री रमेश चन्द्र कुमावत और सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर श्री श्याम सुंदर दुबे समिति के सदस्य होंगे। श्रीमती दवे इन्दौर, धार, खरगोन, उज्जैन, देवास जिले में मनरेगा लोकपाल नियुक्त की गई हैं। श्री कुमावत अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और श्री दुबे बड़वानी खण्डवा, बुरहानपुर एवं शाजापुर में मनरेगा के लोकपाल होंगे।

जबलपुर संभाग के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामगोपाल अग्रवाल संभागीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष होंगे। सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती जमना यादव एवं सेवानिवृत्त वन संरक्षक श्री चंद्रशेखर दुबे समिति के सदस्य होंगे। श्री अग्रवाल जबलपुर , कटनी, नरसिंहपुर जिले में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। श्रीमती यादव छिन्दवाड़ा, मण्डला और श्री दुबे सिवनी एवं बालाघाट में मनरेगा के लोकपाल होंगे।

सागर संभाग के लिए सेवानिवृत्त आई.ए.एस. डॉ. रामानन्द शुक्ल संभागीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष होंगे। श्री शुक्ल सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में मनरेगा लोकपाल होंगे।

ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी डॉ. ओ.पी. शर्मा संभागीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष होंगे। सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर श्री आर.सी. गर्ग समिति के सदस्य होंगे। डॉ. शर्मा ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, एवं गुना जिले में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। श्री गर्ग को भिण्ड, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर में मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है।

रीवा एवं शहडोल संभाग के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश्वर प्रसाद तिवारी संभागीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष होंगे। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री लखन लाल शुक्ला एवं उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राधेश्याम त्रिपाठी समिति के सदस्य होंगे। श्री तिवारी रीवा, सिंगरौली एवं सीधी जिले में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। श्री शुक्ला सतना, उमरिया, डिण्डोरी एवं श्री त्रिपाठी शहडोल एवं अनूपपुर में मनरेगा के लोकपाल होंगे।

गाँवों में विकास कार्य की गति बढ़ाई जाये

विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर प्रभावी अमल हो रहा है। भारत सरकार के त्रैमासिक डिलेवरी मॉनीटरिंग यूनिट रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश का मनरेगा में कुल व्यय की दृष्टि से देश में पाँचवाँ स्थान है।

प्रदेश के समग्र विकास के लिए गाँवों का विकास जरूरी है और गाँवों में विकास कार्य की गति बढ़ाई जाने के लिए गाँवों में जनकल्याणकारी योजनाओं के अमल में तेजी लानी होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह बात पिछले दिनों 'परख' कार्यक्रम में कमिश्नरों और कलेक्टरों से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। 'परख' में माननीय मंत्री महोदय के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी आपके साथ थे। समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मर्यादा अभियान, मनरेगा और पंच-परमेश्वर योजना की गति तेज करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 'परख' में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को दी जाने वाली सेवाओं को निरन्तर व बेहतर बनाने का जो संकल्प लिया है उसे प्रदेश के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मिलकर साकार करना होगा।

मनरेगा में मध्यप्रदेश का लक्ष्य 'अव्वल' बनना है - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि मध्यप्रदेश में मनरेगा पर प्रभावी अमल हो रहा है। भारत सरकार की त्रैमासिक डिलेवरी मॉनीटरिंग यूनिट रपट के अनुसार मध्यप्रदेश का मनरेगा में कुल व्यय की दृष्टि से देश में पाँचवां, जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया करवाने और मानव दिवस सृजन में देश में छठवाँ और सौ दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में देश में सातवाँ स्थान है। इतना ही नहीं अनुसूचित मानव दिवस के सृजन के मामले में भी प्रदेश का देश में दसवाँ स्थान है। मनरेगा की छठवीं वर्षगाँठ पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले छः सालों में हितग्राहीमूलक और समुदायमूलक विकास कार्यों पर बीस हजार नौ सौ बयालिस करोड़ रुपये खर्च करके कुल चौदह हजार नौ सौ तिहत्तर लाख मानव दिवस का रोजगार ग्रामीणों को मुहैया करवाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत इन छः सालों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए बारह हजार चार सौ सत्यासी रुपये खर्च किए गए हैं जो सकल खर्च का लगभग साठ प्रतिशत है। इतना ही

मनरेगा में नवाचार पर बल

मध्यप्रदेश में पहली बार मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के विलम्ब को कम करने के लिये बालाघाट जिले में ई-एफ.एम.एस. प्रक्रिया आरम्भ की गई है जो शीघ्र ही पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष2012-2013 में मनरेगा का लेबर बजट तैयार किया गया है जो एक बड़ी उपलब्धि है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात भी सामने आई कि प्रदेश में छियासठ प्रतिशत ग्रामीण मनरेगा से आमदनी बढ़ने, सत्तर प्रतिशत ग्रामीण मनरेगा से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और पिच्यासी प्रतिशत ग्रामीण मनरेगा से स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण भी हुआ। इतना ही नहीं मनरेगा की उपयोजनाओं से आजीविका के स्थायी साधनों में बढ़ोत्तरी, साहूकार पर निर्भरता में कमी और पलायन में रोकथाम भी मनरेगा का सुफल है।

नहीं इस अवधि में अनुसूचित जाति के श्रमिकों को मनरेगा में दो हजार सात सौ तैंतीस लाख मानव दिवस और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों में मनरेगा के अंतर्गत छ; हजार पाँच सौ अट्ठाईस लाख मानव दिवसों का रोजगार मुहैया करवाया गया। मनरेगा के अंतर्गत पिछले छः सालों में तिरतालिस फीसदी यानी छः हजार चार सौ नवासी लाख मानव दिवसों का रोजगार मुहैया करवाया गया।

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो लाख व्यक्ति प्रशिक्षित होंगे - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख तथा अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगामी दो माह में इस योजना से जुड़े दो लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में मनरेगा की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए चीफ विजिलेन्स ऑफिसर, क्वालिटी कन्ट्रोल यूनिट और सोशल ऑडिट के लिए विभिन्न कार्यदल का भी गठन किया जा चुका है। मनरेगा के लिए दो लाख जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मास्टर ट्रेनर के तीन सौ तेरह दल गठित किए गए हैं। मास्टर ट्रेनर जनपद पंचायतों में पचास-पचास के दल को एक दिवसीय प्रशिक्षण देंगे। भारत सरकार के नए दिशा-निर्देश के अनुसार मुख्यालय से दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर के दल तैयार किये जायेंगे और मास्टर ट्रेनर अपनी जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में कार्यरत मेट, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच एवं सहायक यंत्री को प्रशिक्षित करेंगे। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पचास-पचास के दल को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रत्येक दल में अधिकतम छः ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं शासकीय अमला शामिल होगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेईस हजार इक्यावन सरपंच, तेईस हजार इक्यावन ग्राम सचिव, अट्ठारह हजार बयालिस ग्राम रोजगार सहायक, एक लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचपन मेट्स और एक हजार आठ सौ अड़तालिस सब इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास की उपलब्धियाँ लोगों तक पहुँचायें - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मनरेगा के अंतर्गत सोलह जिलों में पदस्थ मीडिया अफसरों की कार्यशाला-सह-समीक्षा बैठक में उपस्थित मीडिया अफसरों से कहा कि वे मनरेगा और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी प्रचार-प्रसार माध्यमों के जरिये लोगों तक पहुँचायें। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण अंचलों की बदली हुई नई तस्वीर और ग्रामीण जनजीवन में आये सकारात्मक बदलाव को मीडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाये। अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने मीडिया अधिकारियों को कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। श्रीमती शर्मा ने मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए हुई कार्यवाहियों के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। प्रदेश में अब सोलह जिलों में पदस्थ मीडिया अधिकारियों को एक-एक जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के निर्देश भी दिए गए। मनरेगा के मीडिया अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वे ग्रामीणों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने वाली सफलता की कहानियों को प्रचारित और प्रसारित करवाया जाये। आयुक्त, मनरेगा डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने मनरेगा के कार्य को हक से माँगने के लिये आम व्यक्ति को जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यशाला-सह-समीक्षा बैठक में आकाशवाणी की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती वर्षा शर्मा ने हितग्राहियों

संविदा उपयंत्री भी प्रशिक्षित होंगे

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संविदा आधार पर चयनित संविदा उपयंत्रियों के राज्यव्यापी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो इन्दौर, भोपाल और जबलपुर में आयोजित किये जा रहे हैं उनमें संविदा उपयंत्रियों को सड़क, ब्रिज (पुल) तथा कलवर्ट (पुलियाओं) के निर्माण से जुड़े विभिन्न मापदण्डों और तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण स्थल तक भी प्रशिक्षणार्थियों को ले जाया गया ताकि वे मौके पर ही तकनीक की खूबी व खामी जाँच सकें।

को आकाशवाणी से जोड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि "सजीव फोन इन" कार्यक्रम के माध्यम से और बेहतर तरीके से योजना का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

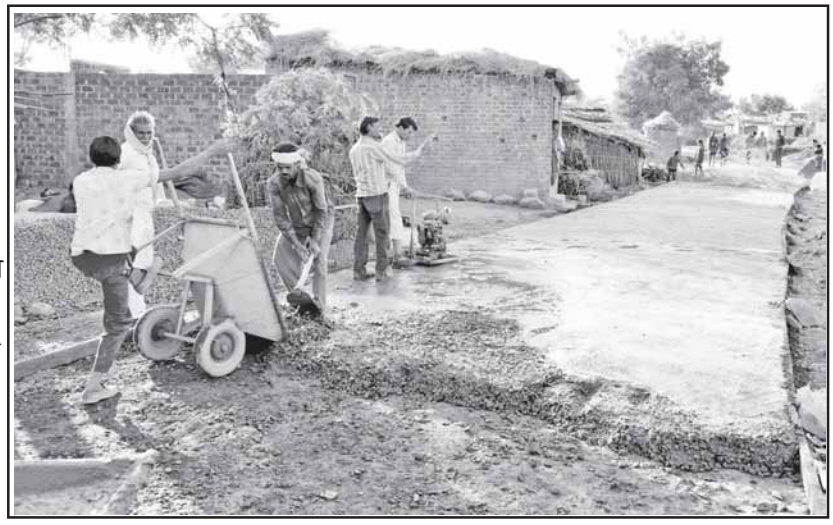

सड़क की गुणवत्ता परीक्षण के लिए नई तकनीक - देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता को परखने के लिए अब समूचे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी मोबाइल गैस तकनीक का उपयोग शुरू किया जा रहा है। नेशनल रूरल रोड एजेन्सी (एन.आर.आर.ए.) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण में देश के बीस राज्यों के स्टेट क्वालिटी को-आर्डीनेटर और अट्ठाईस नेशनल क्वालिटी मॉनीटर तथा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क एजेन्सी और सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स कम्प्यूटिंग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में भाल ले रहे हैं। इस बारे में सभा में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को यह बताया गया कि सड़कों की गुणवत्ता के लिये नई तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है। इस तकनीक से एक ओर जहाँ गुणवत्तापूर्ण बेहतर सड़कों के निर्माण में मदद मिलेगी वहीं समय-समय पर सड़क निर्माण की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरम्भ होने के बाद ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए समय-समय पर नवाचारों को मॉडल के रूप में अपनाया गया। इसी उद्देश्य से मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर का उपयोग क्वालिटी मॉनीटरिंग के लिए शुरू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा इन नवाचारों को मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है।

प्रदेश को मिले लक्ष्य से दो गुना इन्दिरा आवास - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने हाल ही में बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इन्दिरा आवास योजना में चौरासी हजार तीन सौ अट्ठावन मकानों का सामान्य आवण्टन प्राप्त हुआ था। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार ने एक सौ पैंतालिस करोड़ उन्तीस लाख रुपयों का आवण्टन भी जारी कर दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले पाँच वर्ष में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तथा केन्द्रीय मंत्रीगण से बार-बार यह अनुरोध किया था कि प्रदेश की आबादी के मान से पर्याप्त संख्या में इन्दिरा आवास आवंटित किये जायें। प्रदेश को आवंटित इन अतिरिक्त इन्दिरा आवास में से वन अधिकार अधिनियम 2006 के लाभार्थियों के लिए तिरेपन हजार तीन सौ साठ अतिरिक्त मकान और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिये वासभूमि प्रोत्साहन योजना के तीस हजार नौ सौ अन्ठयानवे अतिरिक्त मकानों की मंजूरी मिली है। अतिरिक्त इन्दिरा आवास की मंजूरी मिलने से चालू माली साल में मध्यप्रदेश का आवण्टन मूल लक्ष्य का दोगुना हो गया है। इस तरह अब तक मध्यप्रदेश को एक लाख अड़सठ हजार सात सौ सोलह इन्दिरा आवास आवण्टित भी हो चुके हैं।

ई-पंचायत के लिए दो अरब आवंटित - राज्य शासन ने ई-पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर और अन्य जरूरी सामग्री की खरीदी के लिए बाईस हजार उनसठ ग्राम पंचायतों को दो अरब बीस करोड़ उनसठ लाख रुपयों की राशि आवंटित की गई है। ई-पंचायत कार्यक्रम में पूर्व में जनवरी माह तक नौ सौ सैंतालिस ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये के मान से नौ करोड़ सैंतालिस लाख रुपयों की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रत्येक जिले में

नक्सल प्रभावित इलाकों में ई-पेमेन्ट

बालाघाट जिले के माओवाद (नक्सल) प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को गाँवों में ही त्वरित भुगतान की व्यवस्था ई-पेमेन्ट द्वारा की गई है। ई-पेमेन्ट भी इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी जिला स्तर से सीधे जॉब कार्ड धारकों के बैंक खाते में ग्राम पंचायत की डिमाण्ड आने के मात्र कुछ घण्टों में जमा करवा दी जाती है। ई-पेमेन्ट व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिले में 'निदान' नाम का साफ्टवेयर तैयार किया गया है। ई पेमेन्ट की व्यवस्था अब तक जिले की 693 ग्राम पंचायत में से 270 में लागू की जा चुकी है। अब इसे माओवाद प्रभावित एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र की पंचायतों में भी लागू किया जा रहा है। ई-पेमेन्ट की यह व्यवस्था दूसरी योजनाओं में भी लागू होगी।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

सुखलाल के खेत में लहलहाई पूसा बोल्ड सरसों

श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल के सोनीपुरा के किसान सुखलाल आदिवासी के खेत में इन दिनों पूसा बोल्ड सरसों लहलहा रही है। यह संभव हुआ है सरसों की अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध होने से। सुखलाल एक हैक्टेयर खेत में वर्षों से परम्परागत रूप से खेती करते आ रहे थे। हाल के कुछ वर्षों से परम्परागत खेती की लागत ज्यादा होती जा रही थी। बदले में आमदनी बहुत कम थी। ऐसे में परिवार लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था।

कलेक्टर के दौरे के समय सुखलाल की खेती के संबंध में चर्चा हुई। कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर भी पाटिल ने सुखलाल को आधुनिक तरीके से खेती की सलाह दी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को बीज प्रदर्शन योजना के जरिये सुखलाल की मदद करने को कहा। इसके बाद उसे सरसों की अच्छी किस्म पूसा बोल्ड बीज 5 किलो उपलब्ध करवाया गया। सुखलाल ने एक हैक्टेयर में बोआई की। उसे कृषि विभाग द्वारा खाद एवं दवाई के साथ समय-समय पर कृषि सलाह भी दी गई। परिणाम में आज उनके खेत में सरसों की समृद्ध फलियाँ लहलहा रही हैं। सुखलाल के खेत में पूसा बोल्ड सरसों फसल लहलहाने की आस-पास के किसानों में भी चर्चा है। वे भी सरसों की इस किस्म को आजमाने की सोच रहे हैं।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

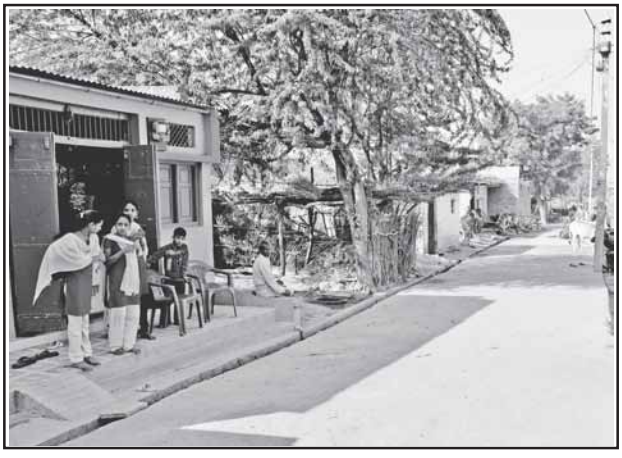

कलेक्टर की अध्यक्षता में एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा। इस उद्देश्य से आवंटित राशि को ई-पंचायत कार्यक्रम के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर खोले गए बैंक खाते में रखा जायेगा। ई-पंचायत के लिए सामग्री की सूची में डेस्क टॉप कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर तथा स्कैनर और पॉवर कंडीशनिंग इक्यूपमेन्ट तथा इन्वर्टर शामिल है।

ग्राम विकास के कार्य अन्य लोगों को प्रेरणा देंगे - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने पिछले दिनों मध्यप्रदेश पंचायत सचिव महासंघ और मध्यप्रदेश ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी अपनी मेहनत और कर्मठता से गाँव की तस्वीर को बदलें। ग्राम विकास के ऐसे बेहतर कार्य हों, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा-स्रोत बनें। श्री भार्गव ने कहा कि पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की उचित माँग और अपेक्षाओं के प्रति राज्य शासन सजग है। श्री भार्गव ने इस अवसर पर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निर्मल ग्राम पंचायत बनाये जाने की आवश्यकता भी बताई।

ग्राम विकास भी शहरों की तर्ज पर होगा - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में गाँवों के विकास को भी शहरों की तर्ज पर ही किये जाने की बात कही है। श्री भार्गव ने पंचायत क्षेत्रों में करारोपण की व्यवस्था भी शहरों के अनुरूप ही करने की बात कही है ताकि गाँवों का समग्र विकास भी तेजी से हो सके।

❑ राजेश शर्मा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और योजना का लाभ सभी तक पहुँचाने के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देश के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सभी महत्वपूर्ण रिकार्ड्स और सूचनाएँ जनता की सहज पहुँच में हों। मनरेगा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जानकारी की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इस संबंध में जारी परिपत्र का यथावत प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

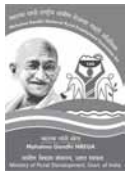

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, सी-विंग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांकः1504/ज.शि.नि.प्र./अ.का.अ./एनआर-14/2013 **भोपाल, दिनांक : 14.02.2013**

परिपत्र - क्रमांक - 1
पारदर्शिता एवं स्वघोषणा

प्रति,

1. संभागायुक्त (समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला-समस्त
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला पंचायत - समस्त

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी,

जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : पारदर्शिता एवं स्वघोषणा।

संदर्भ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2013 (चौथा संस्करण)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2013 (चौथा संस्करण) के अनुसार अधिकार आधारित कार्यक्रम महात्मा गांधी एनआरईजीएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों को संदर्भित दिशा-निर्देशों की कंडिका क्रमांक यथावत अंकित करते हुए लागू करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

13.7 पारदर्शिता एवं स्व-घोषणा

13.7.1 महात्मा गांधी एनआरईजीएस जैसे अधिकार आधारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का अनुसरण किया जाएगा :

i) एमजीएनआईजीएस के कार्यान्वयन में विभिन्न पहलुओं संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार कामगारों के अधिकारों, विभिन्न मदों तथा सृजित परिसंपत्तियों के खर्चों पर विशेष ध्यान देकर सक्रियता से किया जाए। प्रचार-प्रसार ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची में नियमित मद होगी।

ii) कार्यों के बारे में जानकारी कार्यस्थल पर अनुबंध1 में दिए गए स्थानीय भाषा के प्रोफार्मा में तथा ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर अनुबंध-2 में दिए गए प्रोफार्मा में प्रदर्शित की जाएगी।

iii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्व-सहायता समूहों से एक तथा विभिन्न कार्यक्रमों के समुदाय आधारित संगठन से एक व्यक्ति को स्वयंसेवक चुना जा सकता है ताकि उसे अपने संबंधित समूह में तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों जैसे उपेक्षित समूहों में एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करने का प्रशिक्षण दिया जा सके।

iv) भारत-निर्माण स्वयंसेवकों को भी एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में शामिल किया जा सकता है।

v) उच्च विद्यालयों तथा इससे ऊपर के स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को भी एमजीएनआरईजीए के सभी पहलुओं जिसमें इसका कार्यान्वयन भी शामिल है, के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

vi) युवा क्लबों, महिला समूहों तथा सिविल सोसायटी संगठनों को भी योजना की पूर्व में जानकारी दी जा सकती है।

vii) सभी ग्रामीण पुस्तकालयों तथा अध्ययन कक्षों को नियमित आधार पर अपेक्षित जानकारी दी जा सकती है।

viii) ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव तथा रोजगार गारंटी सहायक (रोजगार सहायक), मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन सहित एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

13.8 सूचना का अधिकार अधिनियम

13.8.1 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी विषयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 का सभी स्तरों पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए जिसमें सूचनाओं की स्व-घोषणा का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) जैसे नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध जानकारी ग्राम पंचायत में भवनों की दीवारों पर लिखी जाए। दीवारों पर लिखी गई जानकारी में उपलब्ध कराए गए कार्य के दिनों की संख्या तथा एक वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्डधारक को किए गए भुगतान, स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची, मजदूरी और सामग्री घटक पर खर्च, विभिन्न सामग्री मदों की मात्रा तथा दरें जिसके हिसाब से ये खरीदी गई हैं, शामिल होगी। यह प्रणाली (जनता सूचना प्रणाली) ग्रामवासियों जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं हो सकती है, के लिए एमआईएस की पहुंच को सुनिश्चित करेगी।

13.8.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जमा कराए गए आवेदनों पर3 दिन के भीतर कार्रवाई हो जानी चाहिए। विशेष रूप से, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित किसी भी तरह की सूचना उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी सूचनाएं सार्वजनिक परिवृत्त का हिस्सा हैं।

13.8.3 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को किसी के आवेदन का इंतजार किए बिना अपनी ओर से ही सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाना चाहिए। राज्य रोजगार गारंटी परिषद को इस तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेजों (उपलब्ध कराए गए कार्य के दिनों की संख्या तथा एक वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्डधारक के लिए किए गए भुगतान, स्वीकृति कार्यों की सूची, मजदूरी तथा सामग्री घटक पर हुए खर्च, विभिन्न सामग्री मदों की मात्रा तथा दरें, जिनके हिसाब से ये खरीदी गई हैं) की सूची तैयार करनी चाहिए और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

13.8.4 प्रत्येक स्तर पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स और सूचनाएं जनता की सहज पहुंच में हों। अब तक मिली मांगों, पंजीकरण, जारी किए जा चुके रोजगार कार्डों की संख्या, काम मांगने वालों और काम पा चुके नहीं पा चुके व्यक्तियों की सूची, प्राप्त और खर्च हुए अनुदान, किए जा चुके भुगतान, स्वीकृति और शुरू हो चुके कामों, काम की लागत और खर्चे के ब्यौरे, काम की अवधि, सृजित श्रम दिवस, स्थानीय समितियों की रिपोर्टों तथा मस्टर रोल की प्रतियां आदि जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये जानकारियां, महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में लगी सभी एजेंसियों के सभी कार्यालयों के बाहर एक तय प्रारूप के अनुसार चिपकाई जाएंगी। उनकी प्रति हर तिमाही में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

13.8.5 लोगों को पता होना चाहिए कि इस योजना से संबंधित सूचनाएं और रिकार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कौन कर सकता है। इस तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोटे तौर पर एक समय-सीमा तय होनी चाहिए। जिन अधिकारियों से ये जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं, उन सभी के नाम और संपर्क पते जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एनआरईजीए से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों का शुल्क उन कागजात की फोटो कॉपी पर आने वाली लागत से अधिक नहीं होना चाहिए।

13.8.6 यथा संभव, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

13.8.7 प्रत्येक ग्राम पंचायत के महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित खातों को अपनी ओर से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए और साल में कम से कम दो बार उन्हें अद्यतन किया जाए। पंचायत भवन पर दीवार लेखन, नोटिस बोर्ड और लागत मूल्य पर उपलब्ध वार्षिक

रिपोर्टों में प्रकाशन आदि विविध माध्यमों से इन खातों का सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

13.8.8 स्थानीय कार्यों, रोजगार और निधियों से संबंधित रिपोर्ट कार्ड को ग्राम पंचायत की ओर से पंचायत परिसर या अन्य प्रमुख स्थानों जैसे विद्यालयों, सामुदायिक केन्द्रों में लगाया जाना चाहिए। इन्हीं दस्तावेजों को कार्यक्रम अधिकारी की ओर से मध्यवर्ती पंचायत कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में और पूरे जिले के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत कार्यालय के बाहर चिपकाया जाना।

13.9 कार्यस्थलों की पारदर्शिता

13.9.1 कार्य-स्थल पर निम्नलिखित के माध्यम से पूर्व में जानकारी दी जाएगी।

i) नागरिक सूचना बोर्डों के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करना।

ii) प्राधिकृत व्यक्ति दिन में काम पूरा होने के बाद कामगारों की उपस्थित में उपस्थिति, किए गए कार्य तथा भुगतान की गई मजदूरी के संबंध में मस्टर रोल जानकारी पढ़कर सुनाएगा।

iii) कार्यों के मापन के दौरान कामगारों के सामने मापन पुस्तिका में दर्ज माप को भी पढ़कर सुनाएगा।

13.9.2 निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रत्येक कार्य के लिए कार्यस्थल फाइल रखी जाएगी तथा यह फाइल ग्राम पंचायत के सभी निवासियों, सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्यों वहां आने वाले अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों इत्यादि की पहुंच में भी होगी :

i) कार्यों का विवरण

ii) प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति के विवरण

महात्मा गांधी नरेगा दिशा-निर्देश, 2013

iii) कार्य की अवधि तथा संभावित श्रम दिनों का सृजन

iv) कामगारों तथा भुगतान की गई मजदूरी का विवरण

v) बैठकों का उपक्रम

vi) उपलब्ध कराई गई श्रम सुविधाएं

vii) मदवार उपयोग की गई सामग्री जिसमें स्रोत, इकाई लागत, कुल लागत इत्यादि का उल्लेख हो।

viii) कामगारों द्वारा की गई शिकायतें

ix) निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां, सतर्कता और निगरानी समिति की रिपोर्ट

x) कार्यस्थल फाइल को कम से कम पांच कामगारों ने प्रमाणित किया हो।

13.9.3 कार्यस्थल (कम से कम तीन स्थितियों में)- काम के पूरा होने से पहले, इसके दौरान तथा इसके बाद) के फोटोग्राफ को मंत्रालय की वेबसाइट (www.nrega.nic.in) पर अपलोड किया जाएगा। जहां तक संभव हो सके ये फोटोग्राफ भूसंदर्भित हो।

13.10 ग्राम सभा द्वारा स्व-घोषणा

13.10.1 महात्मा गांधी एनआरईजीएस का कार्यान्वयन करते समय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा मुख्य दस्तावेजों की स्व-घोषणा की सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से तथा अपनी तरफ से लगाया जाना चाहिए। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से ग्राम सभाओं की बैठकें की जानी चाहिए।

i) भुगतान की गई मजदूरी तथा सामग्री घटक के साथ पूरे हो चुके तथा चल रहे दोनों कामों के नाम

ii) ऐसे व्यक्तियों का नाम, मुख्यतया जॉब कार्ड सं. के साथ, जिन्होंने काम किया है, जितने दिन काम किया है तथा प्रत्येक को भुगतान की गई मजदूरी।

iii) सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी के नाम के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए खरीदी गई सामग्रियों की मात्रा तथा मूल्य।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

अनुबंध 1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

(कार्य स्थल पर प्रदर्शित किए जाने के लिए)

कार्य का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत
ब्यौरा (स्थल-खसरा सं.) :	
(क से ख तक)* :	
परियोजना :	वर्ष :
निष्पादन एजेंसी :	दरों की अनुसूची :
स्वीकृत राशि :	सामग्री मजदूरी अनुपात :
कार्य शुरू करने की तारीख :	समापन की तारीख :

सामग्री का नाम	अपेक्षित सामग्री		कार्य की तकनीकी विशेषता
	स्थानीय इकाई के साथ मात्रा	दर प्रति इकाई	
अपेक्षित मजदूरी			
कुशल			
अर्ध कुशल			
अकुशल			

स्थल पर उपलब्ध कागजात

आगे सूचना के लिए सम्पर्क करें

* क से ख : क ग्राम से ख ग्राम तक सड़क का निर्माण

अनुबंध 2

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

(सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाने वाली सूचना)

ग्राम पंचायत अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की सूचना

ग्राम पंचायत — पंचायत समिति

जिला — वार्ड गांव

वर्ष	निष्पादन एजेंसी	क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम	वार्ड	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की वास्तविक स्थिति
						मजदूरी	सामग्री	जोड़	मजदूरी	सामग्री	जोड़	

ऑनलाइन पद्धति से आयोजित होंगी भर्ती परीक्षाएँ

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब मध्यप्रदेश में ऐसे पद जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं भरे जाते हैं, वह सभी पद अब मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा भरे जायेंगे और गैर लोक सेवा आयोग के सभी पदों पर भर्ती हेतु ली जाने वाली सभी परीक्षाएँ ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जायेंगी। इस संबंध में जारी आदेश का पंचायिका में यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 304/261/2013/3-1 **भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2013**

प्रति,

संचालक,
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
भोपाल।

विषय - गैर लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से आयोजित करने के संबंध में।

संदर्भ - सा.प्र.वि. का परिपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2011 एवं दिनांक 27 अगस्त, 2012।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-3/2001/3/1, दिनांक 25 फरवरी, 2011 एवं पत्र दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा ऐसे पद जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं भरे जाते हैं, वह सभी पद मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से भरे जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि गैर लोक सेवा आयोग के सभी पदों पर भर्ती हेतु ली जाने वाली सभी परीक्षाएं 'ऑनलाइन पद्धति' से ही आयोजित की जाएं।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्रों के अनुसार गैर लोक सेवा आयोग के सभी पद व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से भरे जाते हैं। अतः उक्त अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि व्यापम द्वारा शासकीय विभाग/निगम/मण्डलों में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु आयोजित चयन परीक्षाएं, चाहे वह नियुक्ति किसी भी रूप में की जाना हो, 'ऑनलाइन पद्धति' से ली जाना सुनिश्चित किया जाए।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन, विभाग

ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा बढ़ी

ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में दी जाने वाली प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाई गई है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों में वृद्धि करते हुए अब ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये तक की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है। वहीं जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की स्वीकृति 10 लाख रुपये है वहाँ अब 15 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य कराये जायेंगे। इस संबंध में जारी आदेश यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ 2-5/2013/22/पं.1 **भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2013**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय - ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

संदर्भ - इस विभाग का पत्र क्रमांक 3325/67.3/22/वि-10/ग्रा.यां.से./2002 दिनांक 11.11.2002

सन्दर्भित ज्ञापन द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति रु. 5.00 लाख की सीमा तक दिए जाने के निर्देश दिए गए थे।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त वित्तीय सीमा में संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों के वित्तीय/प्रशासकीय अधिकारों में वृद्धि करते हुए राज्य में अब ग्राम पंचायत रु. 5.00 लाख के स्थान पर रु. 10.00 लाख तक के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी कर कार्य को संपादित कराने के लिए सक्षम होंगी।

3. भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे ग्राम पंचायत स्तरीय ऐसी कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत रु. 10.00 लाख से 15.00 लाख की सीमा में निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हों, ऐसे कार्यों के लिए ग्राम पंचायतें रु. 15.00 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य संपादित करने के लिए सक्षम होंगी।

4. ग्राम पंचायतों के द्वारा उपरोक्त कराए जाने वाले निर्माण कार्यों पर मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण के निर्देश पूर्ववत लागू होंगे।

5. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति यू.ओ.क्र. 384/392/2013/नियम/चार दिनांक 22.2.2013 के अनुशरण में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकासखण्ड संसाधन केन्द्र के उपयोग की गाइड लाइन

बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड योजना के तहत मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के समस्त विकासखण्डों में विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) का निर्माण कराया गया है। बीआरजीएफ योजनान्तर्गत निर्मित इन भवनों का उपयोग पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास विभाग की समुचित हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में किया जायेगा। इन ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर के उपयोग के संबंध में जारी परिपत्र का प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 2259/पं.राज/बीआरजीएफ/13 **भोपाल, दिनांक 7.3.2013**

प्रति,

कलेक्टर (बीआरजीएफ समन्वयक)
जिला - बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दमोह, धार, डिण्डौरी, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, मण्डला, पन्ना, राजगढ़, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, मध्यप्रदेश।

विषय - बीआरजीएफ योजनांतर्गत निर्मित विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर) के उपयोग/किराया निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ - म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. का पत्र क्र. 1769/प.राज./बीआरजीएफ/13 दिनांक 12.02.2013

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिले के समस्त विकासखण्डों में ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर का निर्माण बीआरजीएफ योजना से किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर निर्मित भवनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास विभाग की समुचित हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। संदर्भित परिपत्र अनुसार अब उक्त बीआरसी भवनों का उपयोग विभागीय कौशल उन्नयन हेतु भी प्रशिक्षण अवधि के लिये दिया जा सकेगा। बीआरसी भवनों के उपयोग हेतु निम्नानुसार किराया निर्धारण एवं उपयोग के लिये निम्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं -

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रशिक्षणों में बीआरसी भवन के रखरखाव हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 16292 दिनांक 28.01.2008 अनुसार वित्तीय प्रबंधन पत्र के बिन्दु क्रमांक 'ग' अनुसार प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि में से 90 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण कार्य के लिये एवं शेष 10 प्रतिशत राशि विकासखण्ड संसाधन केन्द्र के रखरखाव एवं संचालन हेतु रखी जावेगी। बीआरसी केन्द्रों का रखरखाव संबंधित जनपद पंचायत द्वारा किया जावेगा।

2. अन्य शासकीय विभाग एवं अधिकृत गैरशासकीय संस्थाओं को बीआरसी भवन उपयोग हेतु दिये जाने पर संबंधित विभाग/संस्था से अनुबंध (एमओयू) कर निर्धारित की गई शर्तों अनुसार भवन प्रशिक्षण अवधि के लिए ही दिया जा सकेगा।

3. बीआरसी भवन का निर्माण प्रत्येक जनपद पंचायत में किया गया है। जिसमें जिला मुख्यालय की जनपद पंचायत के साथ-साथ अन्य जनपदों में भी किया गया है। प्रदेश में कतिपय स्थानों पर बीआरसी भवन के ऊपर छात्रावास भी बनाया गया है। अतः जनपद अंतर्गत निर्मित बीआरसी भवनों का किराया उस स्थान पर प्रचलित कलेक्टर दर के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा, परन्तु प्रशिक्षण भवन का न्यूनतम किराया रु. 3,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। उक्त किराये में छात्रावास का किराया शामिल नहीं है।

4. अधिपत्य अवधि हेतु निर्धारित किराये के अलावा उपयोग में ली गई, बिजली, पानी का भुगतान एवं रखरखाव का व्यय भवन प्रशिक्षण रखने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा।

5. बीआरसी भवन की अधोसंरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/बदलाव नहीं किया जा सकेगा। स्थाई स्वरूप की आंतरिक साज-

सज्जा किये जाने से पूर्व संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी संस्था या अन्य विभाग द्वारा उनके द्वारा नियत प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत बीआरसी भवन जैसा था उसी स्थिति में ही जनपद पंचायत को वापस सौंपेंगे।

6. विकासखण्ड संसाधन केन्द्र मूलत; प्रशिक्षण हेतु निर्मित किये गये हैं। अतः प्रशिक्षण के लिए अधिपत्य प्राप्त होने के उपरान्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र के भवन में अपना कार्यालय आदि स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

7. उपरोक्तानुसार निर्मित बीआरसी भवन के आवंटित कक्षों में से मीटिंग हॉल का उपयोग समय-समय पर बीआरसी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मैनेजर कौशल विकास केन्द्र/प्राधिकृत अधिकारी संबंधित संस्था आपस में समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रशिक्षण हेतु अधिपत्य प्राप्त संस्था/विभाग प्रशिक्षण संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण का कैलेण्डर समय-समय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अवगत करायेंगे। भवन का अधिपत्य छोड़ने के एक माह पूर्व नोटिस देंगे एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित न रहने की स्थिति में एक माह का नोटिस दिया जाकर भवन रिक्त कराया जा सकेगा। यह शर्त दोनों पक्षकारों पर समान रूप से लागू होगी।

9. उपरोक्तानुसार शर्त क्रमांक 1 से 8 तक के अलावा स्थानीय क्षेत्र विशेष की स्थिति एवं प्रशिक्षणों के अनुसार अनुबंध में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अन्य शर्तें भी लागू कर सकेंगे।

10. उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(राजेश राजौरा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 2260/पं.राज/बीआरजीएफ/13 **भोपाल, दिनांक 7.3.2013**

प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दमोह, धार, डिण्डौरी, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, मण्डला, पन्ना, राजगढ़, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

जिला पंचायत उपाध्यक्षों को वाहन की पात्रता

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्र में पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए माह में एक सप्ताह के लिए किराये का वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य शासन के इस आदेश को पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2013

क्रमांक एफ 3-3/22/08/पं-1 प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के उपाध्यक्षों को पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन लक्झरी वाहन छोड़कर, किराये का वाहन उपलब्ध कराया जावे।

1. वाहन माह में एक सप्ताह के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।
2. वाहन का एक सप्ताह का किराया रु. 4500/- तक सीमित होगा।
3. वाहन के लिये ईंधन के उपयोग की सीमा 50 लीटर डीजल तक सीमित होगी।
4. वाहन का उपयोग जिला पंचायत की सीमाओं के भीतर किया जावेगा।
5. वाहन किराये की राशि गौण खनिज मद अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि पर भारित होगी।

किराये पर वाहन लेने संबंधी निर्धारित शर्तें इस विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 3-10/2006/22/पं-1 दिनांक 29.07.2006 अनुसार लागू होगी।

यह आदेश वित्त विभाग की टीप क्र. सी.आर. 271/वि.4/चार/2013 दिनांक 26.2.2013 में दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(राजेश राजौरा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का पद से हटना

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। यदि वह प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों और अधिकारों का दुरुपयोग करता है या ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाया जा सकता है।

(पिछले अंक का शेष)

उक्त तालिका के कॉलम नं. 3 में दर्शाई संख्या से पक्ष में मतदान कम होने पर अविश्वास पारित नहीं होगा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह ध्यान में रखा जाये कि यदि कॉलम नं. 3 में दर्शाई संख्या में पंचायत के निर्वाचित सदस्य उपस्थित हैं, परन्तु कुछ सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित हो जाते हैं या मतदान में तटस्थ रहते हैं, तो भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिये दोनों शर्तों के अनुसार उक्त अनुसार संख्या होना अनिवार्य है। गणना तालिका -

पंचायत का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्यों की संख्या				**अविश्वास प्रस्ताव पारित करते समय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की गणना**		
पंचायत के कुल सदस्य	**तीन चौथाई से अन्यून संख्या**			**दो तिहाई से अधिक**		
10	7.5	=	8	6.6	=	7
11	8.2	=	9	7.3	=	8
12	9	=	9	8	=	9
13	9.7	=	10	8.6	=	9
14	10.5	=	11	9.3	=	10
15	11.2	=	12	10	=	11
16	12	=	12	10.3	=	11
17	12.7	=	13	11.3	=	12
18	13.5	=	14	12	=	13
19	14.2	=	15	12.6	=	13
20	15	=	15	13.3	=	14
21	15.7	=	16	14	=	15
22	16.5	=	17	14.6	=	15
23	17.2	=	18	15.3	=	16
24	18	=	18	16	=	17
25	18.7	=	19	16.6	=	17

13. पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की समस्त कार्यवाही की एक प्रति जिला कलेक्टर और विहित अधिकारी को देगा।

14. पीठासीन अधिकारी, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति और मतपत्रों को अपनी अभिरक्षा में एक वर्ष तक रखेगा।

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र

पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपना त्याग पत्र लिखित रूप से देकर अपना पद छोड़ सकता है। (धारा 37)

- जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपने अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसकी एक प्रतिलिपि पंचायत के सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी देना चाहिए।
- जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।

त्याग पत्र 30 दिन में स्वीकार होगा। इन तीस दिनों में यह जाँचा जाएगा की यह त्याग पत्र असली है या नहीं त्याग पत्र देने के बाद अगर त्यागपत्र देने वाला पंच या अध्यक्ष को ऐसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते हैं।

पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन

जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य, पंच अगर देश के विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का दोषी है और उसके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी दशा में विहित अधिकारी उस पदाधिकारी को उसके पद से निलम्बित कर देंगे।

जिन अपराधों के कारण पदाधिकारी को निलम्बित किया जा सकता है उनमें प्रमुख हैं -

- भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत आने वाली धाराओं
- खाने के सामान व दवाओं में मिलावट के आरोप
- महिलाओं तथा बच्चों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यवहार के आरोप का मुकदमा हो या
- किसी भी ऐसे कानून जिसमें दण्ड की व्यवस्था हो उसके तहत मुकदमा चलने की स्थिति में
- विहित अधिकारी (कलेक्टर) उसे निलम्बित करके इस निलम्बन की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर संभागीय कमिश्नर को भेजेगा
- कमिश्नर को इस निलम्बन की पुष्टि 90 दिन के भीतर करनी होगी, नहीं तो यह निलम्बन अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा।

पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाया जाना

अगर पंचायत प्रतिनिधि या अध्यक्ष ऐसे काम करें जिससे कि -

- देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता पर बुरा असर हो
- राज्य के लोगों के बीच धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव का माहौल बने और
- महिलाओं के सम्मान पर बुरा असर पड़े
- पंचायत अधिनियम में दी गयी जिम्मेदारियों को पूरा न करके उपेक्षा करें तो विहित प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी जाँच के बाद किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय हटा सकता है।
- इसके साथ ही अगर पंचायत पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके अपने किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुँचाता है तो भी निहित अधिकारी जाँच के बाद उसे अपने पद से हटा देगा।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि

- हटाये जाने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना जरूरी है
- इस संबंध में अंतिम आदेश कारण बताओ सूचना जारी होने के 90 के भीतर देना होगा
- इससे संबंधित पदाधिकारी की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगी और वह अगले छह साल तक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा।

पंचायत की बैठक में भाग न लेने पर सदस्यता समाप्त होना

अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी जनपद पंचायत की अनुमति के बिना

- पंचायत की लगातार तीन बैठकों में नहीं आता या
- पंचायत के छह महीने के काम के दौरान आधी बैठकों में नहीं आता
- पंचायत की स्थाई समितियों की तीन लगातार बैठकों में नहीं आता
- पंचायत की लगातार तीन बैठक नहीं बुलाता
- अध्यक्ष अगर जनपद की लगातार तीन बैठक नहीं बुलाता

ऐसे सदस्य की सदस्यता खत्म हो जायेगी। इस मामले में पंचायत या कोई अन्य व्यक्ति कलेक्टर को आवेदन देंगे और कलेक्टर इस आवेदन के आधार पर अपना फैसला देंगे। फैसले से पहले जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हुई है उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जायेगा। जिस सदस्य की सदस्यता कलेक्टर के आदेश से खत्म होती है वह सदस्य या पदाधिकारी आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर आयुक्त के यहाँ अपील कर सकता है।

(शेष आगामी अंक में)

वरिष्ठ कार्यालयों से पत्र व्यवहार करने की आदर्श पद्धति

पंचायत राज संस्थाएँ अधिनियम और नियमानुसार अपना दैनिक कार्य सम्पन्न करती हैं। इस दौरान उन्हें अपने वरिष्ठ कार्यालयों से मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा पत्राचार या पत्र व्यवहार करना होता है। इस विषय में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत पत्र व्यवहार नियम 1995 बनाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) में जैसा कि परिभाषित है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं। ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी निरंतरता बनाए रखने का भार पंचायतों पर है। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी क्षेत्र में ग्रामवासियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। पंचायतें विधि अनुसार अपने कृत्य और दायित्वों का निर्वहन कर सकें , इसलिए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में इन्हें स्पष्ट किया गया है तथा निष्पादन संबंधी प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं अधिनियम तथा नियमों के अनुसार अपना दैनिक काम-काज संपादित करती है तथापि इस दौरान यदा-कदा जो कठिनाईयां उद्‌भूत होती हैं, उनके निराकरण हेतु वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है। कुछेक मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिनका निदान जिले में ही यथास्थिति जनपद अथवा जिला पंचायत द्वारा हल कर दिया जाता है। जब किसी मुद्दे का हल जिला पंचायत स्तर पर संभव नहीं होता है तब प्रकरण की प्रकृति के अनुसार मार्गदर्शन/निराकरण के लिये संचालनालय पंचायत राज अथवा राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग को भेजना आवश्यक होता है। इस विषय में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत पत्र व्यवहार नियम, 1995 बनाए जाकर लागू किए गए हैं। इन नियमों में वरिष्ठ कार्यालय से किए जाने वाले पत्र व्यवहार की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। अधिकांश पंचायती राज संस्थाएं इस प्रक्रिया अनुसार ही पत्र व्यवहार करती हैं किन्तु जिस पंचायत में स्टाफ स्थानान्तरित होकर नया-नया पदस्थ होता है, वह अनभिज्ञता के कारण सीधे पत्र व्यवहार शासन/संचालनालय से करता है। शासन/संचालनालय स्तर से अभिमत/टीप हेतु प्रकरण कलेक्टर अथवा जिला पंचायत को वापस प्रेषित करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि अकारण निपटारें में विलंब होता है इसलिए निर्मित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया पर ध्यान देना अतिआवश्यक है जो निम्नानुसार है -

- **ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के बीच पत्र व्यवहार-** ग्राम पंचायत की ओर से जनपद पंचायत का तथा विकास खण्ड कार्यालय को सीधा पत्र व्यवहार किया जा सकेगा।
- **ग्राम पंचायत द्वारा अन्य शासकीय प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार-** ग्राम पंचायत की ओर से राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारियों को पत्र-व्यवहार, संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाएगा जनपद पंचायत उस पत्र-व्यवहार को अपनी टिप्पणियों, विचारों या सिफारिशों सहित जैसा वह उचित समझे, संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित करेगा।
- **ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार-** ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों को संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से संबंधित जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। जनपद पंचायत उस पत्र-व्यवहार के संबंध में अपनी ऐसी टिप्पणियों, विचारों या सिफारिशों सहित जैसी वह उचित

समझे जनपद तथा जिला पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

- **जनपद पंचायत तथा सरकार के अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार -** (1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए गए के सिवाय जनपद पंचायत द्वारा पत्र-व्यवहार -

(क) (एक) कलेक्टर को और

(दो) ऐसे विषयों के संबंध में जिनमें अधिनियम के अधीन कृत्यों के निवर्हन के लिये तकनीकी मंत्रणा या स्वीकृति अपेक्षित है जिला अधिकारी को पत्र-व्यवहार सीधे ही किया जा सकेगा और

(ख) विभागाध्यक्षों को, जिले में ऐसे विभागाध्यक्षों के प्रमुख प्रतिनिधि अर्थात जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।

(2) अत्यावश्यकता के मामले में जनपद पंचायत, विभागाध्यक्ष से सीधे पत्र-व्यवहार कर सकेगी किन्तु ऐसे पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपियां ऐसे विभाग के प्रमुख जिला अधिकारी को भी अग्रेषित करेगी।

- **जनपद पंचायत और राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार-** राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए गए के सिवाय, जो राज्य सरकार को निवेदित किए जाने वाले उन प्रस्तावों से संबंधित पत्र-व्यवहार, जिसे जनपद पंचायत राज्य सरकार से करना चाहती है, संबंधित जिला पंचायत के माध्यम से किया जायेगा। जिला पंचायत उस पत्र-व्यवहार के संबंध में अपनी टिप्पणियों, विचारों या सिफारिशों सहित आयुक्त, पंचायत राज के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

- **जिला पंचायत और राज्य सरकार तथा उसके प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार -** (1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए गए के सिवाए जिला पंचायत द्वारा -

(क) (एक) कलेक्टर को

(दो) संभागीय आयुक्त को, और

(तीन) सरकार के विभागाध्यक्ष के जिला या संभाग के किसी प्रमुख प्रतिनिधि को पत्र-व्यवहार सीधे ही किया जा सकेगा, और

(ख) विभागाध्यक्षों को, उनके संभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से, और

(ग) राज्य सरकार को आयुक्त, पंचायत राज म.प्र. के माध्यम से पत्र-व्यवहार किया जाएगा।

(2) अत्यावश्यकता के मामलों में जिला पंचायत सरकार से सीधा पत्र-व्यवहार कर सकेगी किन्तु ऐसे पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपियां संभागीय आयुक्त और आयुक्त, पंचायत राज म.प्र. को अग्रेषित करेगी।

- **पंचायतों और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक या विभागीय लेखा परीक्षक या महालेखाकार के बीच पत्र-व्यवहार -** पंचायत की ओर से उसके लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक या विभागीय लेखा परीक्षक या महालेखाकार से सीधे पत्र-व्यवहार किया जा सकेगा।

- **पत्र-व्यवहार किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा -** ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत से या उसकी ओर से किया जाने वाला समस्त पत्र-व्यवहार क्रमशः ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से तथा उनके हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा जहाँ आवश्यक हो, पंचायत या उसके अधीनस्थ अभिकरण के सुसंगत संकल्पों सहित होगा।

- **केन्द्रीय या राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार करने का वर्जन-** कोई भी पंचायत या उसका अधीनस्थ अभिकरण केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार से सीधे पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

❑ एन.पी. पन्थी

निर्धन व्यक्तियों को ऋण दे सकती है ग्राम सभा

ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्ति या परिवार को ग्राम सभा ऋण दे सकती है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 की उपधारा (1) में इसका प्रावधान किया गया है। यह ऋण उस व्यक्ति या परिवार को दिया जायेगा जिसकी मासिक आय पांच सौ रुपये से कम हो या परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु दिया जायेगा।

ग्राम सभा क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को ग्राम सभा उधार दे सकती है इस हेतु शासन द्वारा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (टट) के उपखण्ड (तीन) में प्रावधान किया है। उक्त उधारी को उधार लेने वाले व्यक्ति या परिवार को ग्रामसभा को वापस भी करना होगा। उधार किन शर्तों पर किन लोगों को किस उद्देश्य के लिये दिया जा सकेगा इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

1. ग्राम सभा क्षेत्र में साधारणतः निवास करने वाले किसी ऐसे परिवार को जिसकी मासिक आय समस्त स्रोतों से रु. 500/- प्रतिमाह या उससे कम हो।

2. उधारी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि करने के लिये ग्रामसभा द्वारा मंजूर किया जा सकेगा, परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी के इलाज के लिये भी उधार मंजूर किया जा सकेगा।

3. इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के फायदे हेतु किसी ऐसे उद्देश्य के लिये जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये ऐसे प्रावधानों एवं शर्तों के अंतर्गत जो तय की जाएं उधार ग्रामसभा दे सकेगी।

4. निर्धन व्यक्तियों को उधार की मंजूरी तब दी जा सकेगी जब तक कि निर्धन व्यक्ति के फायदे के लिये राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन अधिसूचित नहीं कर दिया जाए, निर्धन व्यक्ति का आवेदन पत्र संबंधित ग्रामसभा द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाए और निर्धन व्यक्ति उसी ग्रामसभा का निवासी हो। किसी निर्धन व्यक्ति को चिकित्सीय उपचार के लिये या अन्त्येष्टि करने के लिये उधार की रकम तीन सौ रुपए से अधिक नहीं होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को किसी अन्य प्रयोजन के लिये उधार की रकम दो सौ से अधिक देय नहीं होगी।

उधार की शर्तें - उधार पर न्यूनतम 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा तथा ग्रामसभा द्वारा समय समय पर ब्याज की दर में वृद्धि की जा सकेगी। उधार की वापसी दस से अधिक उतनी मासिक किश्तों में की जावेगी जितनी कि उधार मंजूर करते समय ग्रामसभा द्वारा नियत की गई हो और ऐसी किश्तों में से प्रथम किश्त, निर्धन व्यक्ति द्वारा उधार की रकम प्राप्त करने की तारीख से दो माह की अवधि समाप्ति के बाद देय होगी। चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था करने के लिये कोई भी उधार तब तक मंजूर नहीं किया जावेगा जब तक कि ऐसे निर्धन व्यक्ति को पूर्व में चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था करने के लिये मंजूर किये गये उधार का उसके द्वारा पूरी राशि ग्रामसभा को वापस न कर दी गई हो।

उधार के लिए आवेदन पत्र - चिकित्सा के लिये उधार हेतु आवेदन पत्र आवेदक को एक निर्धारित प्रपत्र में देना होगा, जिसके साथ किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा, अंत्येष्टी के मामले में आवेदक जिस ग्रामसभा में निवास करता है उस ग्राम सभा के किसी पंच का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक के किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु का

(शेष अगले पृष्ठ पर)

स्व-सहायता समूह से जुड़कर मिला रोजगार

सीधी जिले में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) के अन्तर्गत संकुल मिसिरगवां के ग्राम घोघरा में फूलमती देवी अपने परिवार जिसमें पति राम दशरथ कोल एवं अपने तीन बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके परिवार के सभी खर्चों की जिम्मेदारी उसके पति के ऊपर थी किन्तु उसके पति ने गलत लोगों की संगत में रहकर शराब पीने की लत पकड़ ली थी। वह पिछले लगभग पाँच वर्षों से इस बुरी लत का शिकार था जिसके कारण उसके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। पारिवारिक परेशानियों के चलते पत्नी को भी घर से बाहर निकलकर मजदूरी करनी पड़ती थी।

डी.पी.आई.पी. द्वारा इस गाँव में प्रवेश कर डी.पी.आई.पी. की योजनाओं की जानकारी दी गई और समूह गठन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। तब श्रीमती फूलमती देवी ने कुल 11 महिलाओं के साथ मिलकर जय कुण्डवासिनी स्व-सहायता समूह का गठन किया। जब जय कुण्डवासिनी स्व-सहायता समूह को गरीबी के दुष्चक्र के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा था तभी अचानक फूलमती फूट-फूट कर रो पड़ी और पूरे समूह के सामने अपने पति की बुरी लत एवं उसके सामने आ रही परेशानियों के बारे में बताया। समूह की सभी महिलाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया की हम सब महिलाएं मिलकर फूलमती के पति श्री राम दशरथ को इस बुरी लत के कारण सामने आ रही परेशानियों के बारे में समझाकर उसे इस बुरी लत से दूर रहने की समझाईश देंगी। अगले ही दिन सभी महिलाओं ने सुबह-सुबह फूलमती के घर पहुँच कर उसके पति को समझाया। यह प्रण दिलाया गया कि आगे से वो कभी शराब को हाथ नहीं लगायेगा और गलत लोगों की संगत को छोड़ कोई कार्य या व्यवसाय करेगा। समूह ने ग्राम उत्थान समिति घोघरा के माध्यम से फूलमती देवी को आजीविका ऋण के रूप में 10,000 रुपये किराने की दुकान स्थापित करने के लिए कर्ज दिलवाया। फूलमती देवी उसके पति ने साथ मिलकर अपनी स्वयं की किराना की दुकान खोलकर जीविकोपार्जन करने लगी। उसी दुकान से हुई आय से श्रीमती फूलमती देवी अपने आजीविका ऋण का 4000 रुपये मूलधन एवं 680 रुपये ब्याज समूह को वापस कर चुकी हैं और सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर रही हैं। सदस्य सलाहकार सहयोग दल संकुल-तरकहरिया सुनील कुमार ने बताया कि इस सफलता का पूरा श्रेय जय कुण्डवासिनी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को जाता है एवं स्वयं फूलमती देवी को जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ उन्नति की है।

❑ शिव प्रसाद सोनी

(पिछले पृष्ठ का शेष)

उल्लेख हो। कोई भी निर्धन व्यक्ति जिसको कि उधार मंजूर किया गया है उधार की रकम प्राप्त करने की निर्धारित प्रपत्र में रसीद ग्रामसभा को देगा।

उधार की वसूली - कोई व्यक्ति जिसने कोई उधार ग्राम सभा से लिया है और उसको समय पर नहीं पटा पाया है उस व्यक्ति से उक्त रकम की वसूली भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जावेगी, किन्तु उधार लेने वाला व्यक्ति यदि उधार वापस नहीं कर पाया हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा उक्त रकम को बट्टेखाते में डाल सकेगी। ग्रामसभा द्वारा दिए जाने वाली उधारी के आवेदन पत्र का प्रारूप निम्न है -

प्रारूप-एक

म.प्र. पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (टट) के अधीन उधार के लिये आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पता .....
4. आवेदक के परिवार की मासिक आय .....
5. उधार की आपेक्षित राशि .....
6. प्रयोजन जिसके लिए उधार अपेक्षित है .....
7. सहपत्र .....

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता

❑ जी.पी. अग्रवाल

अनुसूचित वर्ग के छात्रावासों में तीन हजार सीट की वृद्धि

अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से इस वर्ष प्री-मैट्रिक छात्रावासों में 3 हजार सीटों की वृद्धि की गई है। वर्तमान में प्री-मैट्रिक छात्रावासों में 34 हजार 845 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश में 946 प्री-मैट्रिक छात्रावास का संचालन अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इनमें बालकों के 585 छात्रावासों में 19 हजार 446 सीट हैं। बालिकाओं के 361 प्री-मैट्रिक छात्रावास संचालित हो रहे हैं। इनमें 15 हजार 399 अनुसूचित वर्ग की बालिकाएँ अध्ययन कर रही हैं। अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में पूर्व से संचालित सभी प्री-मैट्रिक छात्रावासों का कम से कम 50 सीटर में उन्नयन किया गया है।

विभिन्न महाविद्यालय को 1.66 करोड़ रुपये आवंटित

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गाँव की बेटी योजना में बेटियों की छात्रवृत्ति के लिए एक करोड़ 66 लाख 36 हजार 250 रुपये विभिन्न महाविद्यालय को आवंटित किए गए हैं। गाँव की छात्रा ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की , उसी वर्ष में उसको निरंतरता के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना जरूरी है। परम्परागत शिक्षा के लिए छात्रा को 500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसी तरह तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 750 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए यह छात्रवृत्ति मिलती है।

प्रतिभा किरण योजना में महाविद्यालयों को राशि आवंटित

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभा किरण योजना में 27 महाविद्यालय को 12 लाख 38 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं। योजना में शहरी क्षेत्र की बारहवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है। शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय पन्ना को 15 हजार, बीना को 50 हजार, गढ़ाकोटा को 72 हजार, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर को एक लाख 50 हजार, टीकमगढ़ को 6 हजार, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को 5 हजार, हमीदिया महाविद्यालय भोपाल को 55 हजार, एम.एल.बी. कन्या महाविद्यालय भोपाल को 65 हजार, गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल को एक लाख 75 हजार और विवेकानंद महाविद्यालय बैरसिया को 21 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं। इसी तरह गंजबासौदा को20 हजार, कन्या महाविद्यालय गंजबासौदा को 10 हजार, कन्या महाविद्यालय विदिशा को 20 हजार, जयवंती हाक्सर महाविद्यालय बैतूल को एक लाख 5 हजार, पिपरिया को 14 हजार, हरदा को 25 हजार, एम.एल.बी. कन्या महाविद्यालय इंदौर को 55 हजार, सीताराम जाजू महाविद्यालय नीमच को एक लाख 55 हजार, नागदा को 5 हजार, बड़नगर को 15 हजार, खाचरोद को 5 हजार, स्नातक महाविद्यालय शाजापुर को 20 हजार, कन्या महाविद्यालय रीवा को 30 हजार, टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा को 20 हजार, स्नातक महाविद्यालय सतना को 25 हजार और शासकीय महाविद्यालय कोतमा को 15 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं।

तीस विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति स्वीकृत

राज्य शासन द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 23 और अनुसूचित जनजाति के 7 विद्यार्थियों को पी-एच.डी. के लिये शोध छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी। इन्हें 16000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए 54 लाख 27 हजार 206 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से 3 वर्ष तक मिलेगी। गैरतलब है कि शोध छात्रवृत्ति वर्ष 2003-04 से प्रारंभ की गयी है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न संकाय में पी-एच.डी. करने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है। **कला संकाय** में कु. क्षमा कपूरे, श्रीमती भीमा जाटव, श्री फूल शिरोमणि सूर्यवंशी, श्री रोहित चांवरे, श्री सोबरन सिंह, श्री राम प्रसाद वर्मा, कु. विनीता घेंघट, श्री जितेन्द्र कुमार रामटेक, श्री आशीष कुमार मेश्राम, कु. मनीषा शाक्य, श्री रविन्द्र कुमार भिमटे, कु. सीमा बोरासी, श्री मुकेश शारदे और श्रीमती रश्मि राजन राज वर्मा को शोध छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है। **वाणिज्य संकाय** में कु. निशा नागवंशी, श्री संजय भटकर, श्री संजय बाणकर, कु. सोनिया बामनिया तथा श्रीमती किरण जाटव जारवाल को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है। इसी तरह **प्रबंधन** में श्री मनीष फालके और **विधि संकाय** में श्री समीर कुमार भैसादे, श्री सुरेन्द्र कुमार बाघमरे एवं कु. देवी लता रावत को पी-एच.डी. के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग में **कला संकाय** में श्री लक्ष्मण उइके, कु. शोभा सिंह धुर्वे, कु. गीतांजलि सरयाम, श्री दीवान सिंह बारिया, श्री भरत सिंह चौहान और श्री कलीराम वने, को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है। **वाणिज्य संकाय** में श्री पंचम सिंह कड़वे को शोध छात्रवृत्ति दी जायेगी। कोर्स अवधि में शासकीय अथवा अशासकीय नौकरी लग जाने पर शोध छात्रवृत्ति की पात्रता समाप्त हो जाएगी।

9.62 लाख अस्थाई बिजली कनेक्शन का प्रदाय

मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह के अंत तक प्रदेश में कृषकों को सिंचाई पम्प और थ्रेशर कार्य के लिये 9 लाख 62 हजार 702 अस्थाई कनेक्शन दिए गए। इससे कंपनियों को लगभग 495 करोड़ 3 लाख 24 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। पूर्व क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र में इस अवधि तक कृषकों को 3 लाख 97 हजार 288 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिये गये। इसमें सिंचाई पम्प के लिये 3 लाख 76 हजार 445 और थ्रेशर कार्य के लिये 20 हजार 843 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई बिजली कनेक्शन देने से 138 करोड़ 77 लाख 15 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ। मध्य क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र में इस दौरान कृषकों को 2 लाख 688 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए गए। इसमें सिंचाई पम्प के लिए एक लाख 99 हजार 159 और थ्रेशर कार्य के लिये 1,529 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई कनेक्शन देने पर128 करोड़ 11 लाख 8 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई। पश्चिम क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र में कृषकों को 3 लाख 64 हजार 726 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए गए।

लोक सेवा केन्द्रों के लिए उप केन्द्र खुल सकेंगे

प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा है कि जिन लोक सेवा केन्द्रों में अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं वहाँ पर उप केन्द्र खोले जा सकते हैं। यह बात श्री बैंस ने जबलपुर संभाग में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में जबलपुर संभाग के समस्त कलेक्टरों को लोक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत सभी 16 विभाग की प्रगति रिपोर्ट और प्रतिदिन लोक सेवा केन्द्र अनुसार स्टेटस रिपोर्ट एवं कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा करने को भी कहा गया। प्रमुख सचिव श्री बैस ने कहा कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई जाये ताकि आवेदनों को लोक सेवा केन्द्र पर जल्द से जल्द फीड किया जा सके। उन्होंने सभी लोक सेवा केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए तथा कहा कि जिन लोक सेवा केन्द्रों में अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन केन्द्रों के लिए एक उप केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जा सकती है। श्री बैंस ने जिला प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के लिए वाहन व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं एवं लंबित देयकों के भुगतान के निर्देश कलेक्टरों को दिए।

मध्यप्रदेश में जॉब फेयर्स के जरिये 1 लाख 22 हजार युवाओं का प्लेसमेंट

शिक्षित युवाओं को निजी और शासकीय क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जॉब फेयर योजना में अभी तक 1 लाख 22 हजार से अधिक युवाओं को प्लेसमेंट मिला है। अभी तक 797 जॉब फेयर्स में 1 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में, 3,872 को वायु सेना तथा2,224 को थल सेना में रोजगार मिला है। इसके अलावा 7,120 कैरियर काउंसिलिंग शिविर के माध्यम से 1 लाख 33 हजार से अधिक युवाओं को स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कैरियर के बारे में विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया है। शिक्षित युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के रोजगार प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसिलिंग योजना शुरू की गई है। इसमें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त पदों की भर्ती के लिये जॉब फेयर लगाया जाता है। प्रदेश और प्रदेश के बाहर औद्योगिक संस्थानों में उनके यहाँ आवश्यक जनशक्ति भर्ती के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति जॉब फेयर लगाती है। इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रशासकीय और वित्तीय मदद दी जाती है। वायु सेना, थल सेना और जल सेना में सैनिक, तकनीकी और लिपिकीय पदों पर मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय भर्ती सेन्टर द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से इसके लिये आवश्यक सहयोग दिया जाता है। प्रत्येक जिले में वर्ष 2012-13 में कम से कम दो जॉब फेयर का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल,जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, देवास और धार जैसे बड़े जिलों में वर्ष में 4 जॉब फेयर का लक्ष्य दिया गया है। जॉब फेयर योजना के पहले वर्ष 2008-09 में कुल 10 हजार 562 युवाओं को प्लेसमेंट मिला। इनमें से 9,652 की निजी क्षेत्र में और 910 की भारतीय वायु सेना में भर्ती हुई। दूसरे वर्ष 2009-10 में 9,881 युवाओं को जॉब मिला। इनमें से 8,651 की निजी क्षेत्र में तथा 1,230 की वायु सेना में भर्ती हुई। वर्ष2010-11 में 22 हजार 201 युवाओं को जॉब मिला। इनमें से 20 हजार 710 को निजी क्षेत्र में, 800 को भारतीय वायु सेना में तथा691 को थल सेना में रोजगार मिला। वर्ष 2011-12 में 35 हजार 12 युवा को प्लेसमेंट मिला। इनमें 29 हजार 967 को निजी क्षेत्र में, 428 वायु सेना में तथा4,617 को थल सेना में प्लेसमेंट मिला। वर्ष 2012-13 में जनवरी के अंत तक44 हजार 479 से युवा को प्लेसमेंट मिला। इनमें से 41 हजार 59 को निजी क्षेत्र में, 504 को वायु सेना में तथा2,916 को थल सेना में काम मिला।

नर्मदा शुद्धिकरण के लिये 1300 करोड़ की योजना पर अमल शीघ्र

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बांद्राभान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव कार्यक्रम में कहा कि नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है और मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के जल को शुद्ध रखने के लिये तेरह सौ करोड़ रुपये लागत की कार्ययोजना बनाई गई है। इस कार्ययोजना की शुरुआत नर्मदा के उद्‌गम स्थल अमरकंटक से की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के जल को शुद्ध रखने के लिए 1300 करोड़ रुपए लागत की कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना की शुरुआत उद्‌गम स्थल अमरकंटक से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों बांद्राभान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव के द्वितीय सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गंगा समग्र अभियान की सूत्रधार और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती , नर्मदा समग्र के अध्यक्ष श्री अमृतलाल वेगड़, संयोजक श्री अनिल माधव दवे और श्री अतुल जैन विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि समाज की सहभागिता के बगैर नदियों का संरक्षण संभव नहीं है। किनारों पर अवस्थित गाँवों में रहने वाले लोग संकल्प लें कि वे नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपने स्तर पर तो नर्मदा सहित राज्य की सभी नदियों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए प्रयत्नशील है। इसी दिशा में राज्य के सभी गाँवों में मर्यादा अभियान के तहत 15 लाख शौचालयों के निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारों पर पेड़ कट जाने के कारण वृक्षों से रिसने वाला पानी अब नदियों में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार नदियों के किनारों पर व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ जाने से नदियों के जीवतंत्र को क्षति पहुँची है। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों को नदियों के किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का संकल्प लेने की सलाह दी।

सुश्री उमा भारती ने कहा कि हमारी संस्कृति सर्व-समावेशी है। नदियाँ हमारी जीवनदायिनी हैं लेकिन हम नदियों को कुछ लौटाते नहीं हैं। सुश्री भारती ने गंगा समग्र अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि नदी किनारों पर सीवेज के गंदे पानी को नदियों में मिलने से रोकने के लिए जल उपचार संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिए। सुश्री उमा भारती ने कहा कि नदियों के जल के अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए वहाँ होने वाले खनन का रुकना भी जरूरी है।

श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि इस वर्ष नदी महोत्सव की थीम "हमारी नदियाँ, नीति एवं नेतृत्व" रखी गई है। श्री दवे ने कहा कि नर्मदा समग्र अभियान के अंतर्गत राज्य में आगामी 10 वर्ष में जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयत्न किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने की नर्मदा की पूजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवन-रेखा है और इसी से प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने प्रार्थना की कि मध्यप्रदेश में सुख-समृद्धि बनी रहे, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों पर प्राकृतिक आपदा न आये और उद्योग-धंधे फलें-फूलें। ऐसे उद्योगों की स्थापना की जायेगी जिनसे नर्मदा जल प्रदूषित न हो।

श्री चौहान गत दिनों होशंगाबाद के सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव में उपस्थित जन-समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने माँ नर्मदा की सपत्नीक पूजा-अर्चना की। उन्होंने लोगों को नर्मदा जल प्रदूषित न करने का संकल्प दिलवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार में मदद के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना शुरू की जा रही है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषणमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करने में सहायता दी जा रही है।

दीन-दुखियों का उदय ही अन्त्योदय - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। दीन-दुखियों का उदय ही अन्त्योदय है। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा अन्त्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं। श्री चौहान गत दिनों रायसेन जिले के सिलवानी में अन्त्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती सुमा स्वराज, कृषक-कल्याण राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्त्योदय मेले के माध्यम से सरकार स्वयं हितग्राहियों के पास जाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। हम देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों की श्रेणी में हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंत्योदय मेले के माध्यम से सरकार स्वयं हितग्राहियों के पास जाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक योजना का लाभ देना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि कृषि को लाभ का धन्धा बनाने की नीति का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही सरकार गाँवों को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाएगी। किसानों को अब हर माह बिजली का बिल नहीं देना होगा। उन्हें साल में दो बार ही बिल जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि इस साल से सरकार किसानों से 1500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ खरीदेगी।

श्री चौहान ने कहा कि सभी वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने का निर्णय हाल ही में युवा पंचायत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी को स्वास्थ्य सुविधा सरलता से उपलब्ध हो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना शुरू की गई है। हाल ही में निःशुल्क पैथालॉजी जाँच योजना भी प्रारंभ की गई है। श्री चौहान ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति सरकार अत्याधिक संवेदनशील है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्राम पंचायत के पंचों को प्रति बैठक 100 रुपए देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने तीर्थ-दर्शन, माता-पिता भरण-पोषण, निराश्रित 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को मध्याह्न भोजन में बुलाना आदि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी अनेक योजनाओं का उल्लेख किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 करोड़ 65 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने पंचायत भवन ग्राम पंचायत बटेरा, पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिंगपुरी उचेरा, पंचायत भवन धनगाँव, ग्राम पंचायत भवन जैतपुर का लोकार्पण किया। इसके साथ ही छींद से बघवाड़ा, ग्रेबल मार्ग टी 01 से ककरूआ मार्ग और नगर पंचायत सिलवानी में सीसी रोड तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र साँईखेड़ा का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया। श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि अन्त्योदय मेले में समाज के आखिरी व्यक्ति को योजनाओं और विकास का लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए मध्यप्रदेश उद्योगपतियों की पसंद बनता जा रहा है। प्रदेश में तीव्रगति से विकास के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अन्त्योदय मेले में 40 लाख 976 हितग्राही को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। तीन करोड़ रुपए के विभिन्न आठ कार्यों का लोकार्पण किया गया।

बेटी बचाओ और नारी सम्मान रक्षा सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के कारगर प्रयास जारी हैं। हमें इसके लिये मानसिकता में बदलाव लाना है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। दोषी को कम से कम समय में कड़ी सजा दिलाई जायेगी। बेटियों को बचाने की हम सब की जिम्मेदारी है। हमें इसके लिये मानसिकता में बदलाव लाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों होशंगाबाद जिले के पिपरिया नगर में जनदर्शन, बेटी बचाओ एवं नारी सम्मान रक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की है कि पिपरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तरों वाला बनाया जायेगा। उन्होंने मटकुली स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बनाने और पिपरिया नगर के पुराने कन्या स्कूल का भी नया भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कन्या महाविद्यालय के नये भवन हेतु स्थान चिन्हित करने के लिये भी कहा है। श्री चौहान ने पिपरिया नगर के विकास के लिये 5 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वनखेड़ी को नगर पंचायत का दर्जा देने की सैद्धांतिक सहमति भी दी। उन्होंने वनखेड़ी में ही महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 9 करोड़ 36 लाख 56 हजार रुपये की लागत के 18 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 17 करोड़ 65 लाख 78 हजार लागत के 20 निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री सरताज सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री आम लोगों के लिये हमेशा और हर जगह उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिये किये गये अभिनव प्रयासों का जिक्र करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश कई मायनों में दूसरे प्रदेशों से आगे है, और कुछ कार्यक्रमों में तो यह अकेला प्रदेश है जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और विधार्थियों सहित सभी वर्गों के विकास के लिये उल्लेखनीय कार्यक्रम, योजनाएँ शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में युवाओं को उनका व्यवसाय शुरू करने के लिये बैंक ऋण देंगे। इसका करार बैंकों के साथ किया जा रहा है। बैंकों को ऋण की गारंटी राज्य सरकार देगी। योजना एक अप्रैल 2013 से अमल में आ जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और निर्माण के कार्यों के कान्ट्रेक्टर नहीं बन पाते उनको अब तकनीकी ज्ञान और आवश्यक धन राशि मुख्यमंत्री युवा कान्ट्रेक्टर योजना के तहत उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में फीस समस्या नहीं होगी और सरकार शिक्षा लोन की गारंटी देगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि होशंगाबाद जिले के हर गांव में मई 2013 से चौबीस घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटी बचाओ अभियान में होशंगाबाद जिले के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सहित निर्वाचित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकजन मौजूद थे।

पंचायत भवन निर्माण संबंधी दो उपयोगी प्रकाशन

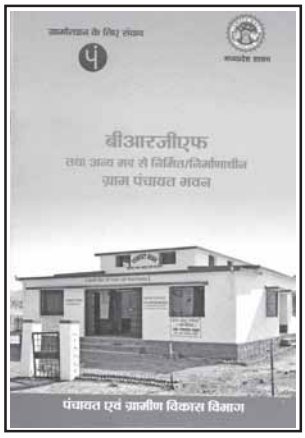

पिछले दिनों भोपाल में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जो महापंचायत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई थी उसे ध्येय वाक्य दिया गया था - "ग्रामोत्थान के लिए सम्वाद"। इसी आयोजन में पंचायत भवन के निर्माण से संबंधित एक पुस्तिका और एक फोल्डर का प्रकाशन हुआ है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सरकारी उपक्रम महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान (एम.जी.एस.आई.आर.डी.) जबलपुर के इन दो प्रकाशनों में पंचायत भवन के निर्माण के मद तथा निर्माण एजेन्सियों की जानकारी संकलित की गई है। पुस्तिका - 'बी.आर.जी.एफ. तथा अन्य मद से निर्मित अथवा निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन" तथा फोल्डर - ''ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा निर्मित तथा निर्माणाधीन पंचायत भवन" सुलभ सन्दर्भ के लिए दो उपयोगी प्रकाशन हैं।

सोलह पृष्ठीय पुस्तिका में एम.जी.एस.आई.आर.डी. ने बी.आर.जी.एफ. तथा अन्य मद से निर्मित तथा निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवनों की जानकारी प्रस्तुत की है। चूंकि प्रदेश में इस समय पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड यानी बी.आर.जी.एफ. से होता है अतः पुस्तिका के शीर्षक में इसी फण्ड का जिक्र किया गया है। प्रदेश के इक्कीस जिलों खरगोन, खण्डवा, शिवपुरी, सिवनी, झाबुआ, पन्ना, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, कटनी, मण्डला, शहडोल, सीधी, सतना, उमरिया, दमोह, छतरपुर, श्योपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर और गुना जिलों की छः सौ अठ्यासी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण की सूची इस पुस्तिका में संकलित है। इस मद से सर्वाधिक पंचायत भवन चौरासी शिवपुरी जिले में बने हैं उसके बाद सतना जिले में उनहत्तर तथा बैतूल जिले में छियासठ पंचायत भवन बने हैं। यह जानकारी भी इस पुस्तिका में संकलित है।

पुस्तिका के दूसरे खण्ड में सात जिलों विदिशा, पन्ना, रायसेन, बालाघाट, मन्दसौर, मण्डला और श्योपुर में दसवें वित्त आयोग, ग्यारहवें वित्त आयोग तथा अन्य मदों से निर्मित तिरतालिस पंचायत भवनों की जानकारी संकलित की गई है। विदिशा जिले में सात, पन्ना जिले में छः, रायसेन जिले में इक्कीस, बालाघाट व मन्दसौर जिले में एक-एक, मण्डला जिले में पाँच तथा श्योपुर जिले में दो पंचायतों में पंचायत भवन बनाये गये थे। इस आशय की जानकारी भी इस पुस्तिका में संकलित है।

समीक्षाधीन दूसरे फोल्डर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा निर्मित तथा निर्माणाधीन पंचायत भवनों की जानकारी संकलित है।

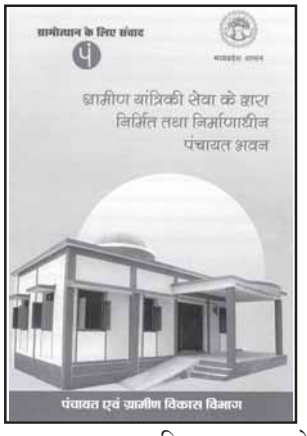

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा जो पंचायत भवन बनाये गये हैं वे मुद्रांक शुल्क के रूप में उपार्जित राशि से बने हैं। फोल्डर में दी गई जानकारी के अनुसार मुद्रांक शुल्क से कुल चार सौ चार पंचायत भवन बनाये गए हैं। ये पंचायत भवन अशोकनगर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, हरदा, इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, मुरैना, रायसेन, रीवा, सतना, सागर, छिन्दवाड़ा, दमोह, हरदा, खण्डवा, कटनी, पन्ना, मण्डला, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, सागर, सीहोर, शाजापुर और शिवपुरी जिले में बनाए गए हैं।

फोल्डर में प्रदेश के सभी इक्यावन जिलों में दिसम्बर 2012 के अन्त तक स्वीकृत दो हजार एक सौ छः कार्यों और उसके लिए स्वीकृत बाईस हजार आठ सौ पचास रुपयों की जानकारी भी संकलित है। इसी फोल्डर में पंचायत भवनों के निर्माण से जुड़ी सभी सांख्यिकीय जानकारी भी है। ये दोनों प्रकाशन में प्रदेश में निर्माणाधीन, निर्मित और निर्माण से शेष पंचायत भवनों की जानकारी भी दी गई है। ग्रामोत्थान के लिए संवाद के बैनर तले आयोजित पंचायत राज प्रतिनिधियों की महापंचायत में यह जानकारी भी एक पृथक पुस्तिका में दी गई है कि पंचायत भवन के साथ ई-पंचायत कक्षों का निर्माण कैसा होगा। कुल मिलाकर यह दोनों प्रकाशन प्रदेश में पंचायत भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं।

* बी.आर.जी.एफ. तथा अन्य मद से निर्मित तथा निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन तथा ग्रामीण यांत्रिकी के द्वारा निर्मित तथा निर्माणाधीन पंचायत भवन * प्रकाशक - एम.जी.एस.आई.आर.डी. जबलपुर

❑ राजा दुबे

परियोजना ने बदली कृषक की ज़िन्दगी

सागर जिले के देवरी संकुल में डी.पी.आई.पी. परियोजना की मदद से कृषक ओंकार पटेल ने आधुनिक खेती पद्धति से कृषि कर अधिक उत्पादन कर न सिर्फ लाभ कमाया अपितु अपने अनुभव को अन्य ग्रामीणों से साझा कर उनके आदर्श बन गये हैं।

सागर जिले के देवरी संकुल के कंजेरा गाँव के किसान ओंकार पटेल ने लगभग आधा एकड़ में पॉली मल्चिंग पद्धति से लगाई मिर्च की खेती से लगभग एक लाख रुपयों की कमाई की है। डी.पी.आई.पी. परियोजना के सहयोग दल की प्रेरणा और प्रोत्साहन से ओंकार पटेल ने सब्जी की खेती में ड्रिप सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया और पॉली मल्चिंग पद्धति से सब्जी की खेती शुरू की। इससे खेती में उनका मुनाफा लगातार बढ़ा और उन्होंने लगभग डेढ़ एकड़ जमीन और खरीद ली तथा अपने बच्चों की शादी भी की।

कंजेरा गाँव के ओंकार पटेल ने जब अपनी यह सफल कहानी हाल ही में सागर जिले के केसली में सम्पन्न स्व-सहायता समूह सम्मेलन में मंच पर आकर सबको बताई तो सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, देवरी क्षेत्र के विधायक श्री भानु राना एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुहागरानी बरकोटी सहित अन्य जनसामान्य मौजूद थे।

कृषक श्री ओंकार पटेल ने सम्मेलन में आगे बताया कि उन्होंने डी.पी.आई.पी. की प्रेरणा से देवास जिले तथा महाराष्ट्र के जलगाँव का भ्रमण कर वहाँ पॉली मल्चिंग एवं ड्रिप सिंचाई पद्धति से सब्जी की खेती में हो रहे लाभ को प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा। इसके बाद कंजेरा गाँव आकर अपने खेत में इसका प्रयोग शुरू कर गाँव के अन्य किसानों को भी इसे अपनाने के लिये समझाया। इसी का परिणाम है कि उन्हें सब्जी की खेती में तत्काल फायदा मिलने लगा और उनके द्वारा किये गये काम का अभी तक प्रदेश के लगभग 20 जिलों के किसान एवं संबंधित अधिकारी अवलोकन कर चुके हैं। ओंकार पटेल की पत्नी तारा बाई कदम स्व-सहायता समूह में शामिल हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने डी.पी.आई.पी. परियोजना के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि डी.पी.आई.पी. द्वारा केसली और देवरी क्षेत्र में किये गये सफल काम पूरे प्रदेश में श्रेष्ठ उदाहरण बनकर सामने आयेंगे। श्री भार्गव ने छोटे किसानों और गरीब महिलाओं के लिये डी.पी.आई.पी. परियोजना को वरदान बताते हुए कहा कि उन्हें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वर्तमान में भी ऐसे लोग और कार्यकर्ता हैं जो गाँवों में पूरी मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम से काम कर गाँवों के गरीबों को परियोजना का लाभ पहुंचा रहे हैं।

समारोह का मुख्य आकर्षण बड़ी संख्या में और बड़े स्व-अनुशासित ढंग से स्व-सहायता समूह सम्मेलन में भाग लेने के लिये दूर-दूर के गाँवों से आयीं समूहों में शामिल महिलाएँ थीं जो काफी उत्साह और उमंग के साथ सम्मेलन स्थल पर मौजूद थीं। इनमें से लगभग दर्जन भर महिलाओं ने डी.पी.आई.पी. परियोजना के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के रूप में जुड़कर शुरू की गई आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों से उनके जीवन में आये बदलाव को अपनी भाषा और अपने लहजे में बयां किया। किसी महिला ने डी.पी.आई.पी. से प्राप्त आजीविका ऋण राशि से खेती के काम किये तो किसी ने सिलाई प्रशिक्षण लेकर, सिलाई के काम से अपने परिवार की आजीविका चलाने में मदद की। किसी ने किराना दुकान खोली तो किसी ने भैंस खरीदकर डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन की बिक्री से मुनाफा प्राप्त किया है। महिलाओं ने बताया कि इसके

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कामधेनु परियोजना से खुशहाल हुआ जीवन

झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के ग्राम उन्नई के निवासी जवर सिंह कतिजा की जिन्दगी कामधेनु परियोजना से खुशहाल हो गई है। पशुपालन से उनकी आर्थिक स्थिति में पहिए लग गए हैं। कुछ साल पहले जवर सिंह के पास रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब उनके पास4 गाय, 3 बछड़े, 3 बछिये हैं। जवर सिंह को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत डेयरी विकास परियोजना में कामधेनु परियोजना के तहत अच्छी नस्ल की 3 दुधारू गाय तीन वर्ष का बीमा करवाकर प्रदान की गईं। जवर सिंह और उसकी पत्नी को 5 दिन का पशुपालन प्रशिक्षण भी दिया गया। परियोजना के तहत जवर सिंह को पशुपालन हेतु शेड और पानी की व्यवस्था के लिए दस हजार रुपये और पशुओं के लिये चारा एवं पशु आहार देने के लिए 3 माह तक दस हजार रुपये का अनुदान भी दिया गया।

जवर सिंह ने बताया कि योजना का लाभ मिलने से पहले हमारी जिन्दगी खानाबदोश जैसी थी। रोजगार का कोई स्थाई साधन न होने से हम पति-पत्नी अक्सर मजदूरी के लिए कई गाँवों तक जाते थे। उन्होंने कहा कि कई बार तो हम राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती गाँवों में भी मजदूरी करने जाते थे और जितने दिन वहाँ मजदूरी करते उतने दिन वहीं रहते थे। लेकिन जब से हमें परियोजना का लाभ मिला है तब से हम ग्राम उन्नई में स्थाई रूप से रहने लगे हैं और अब जीवन भी खुशहाली से बीत रहा है। जवर सिंह ने बताया कि परियोजान्तर्गत उन्हें प्राप्त तीनों गायों का दूध दुग्ध समिति उन्नई को बेचा और दुग्ध समिति से उन्हें अब तक89 हजार 280 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ और साथ ही साथ घर में दूध का उपयोग किया जा रहा है जिससे घर के दूध का खर्च बच रहा है। इसके अतिरिक्त आस-पड़ोस में भी दूध विक्रय कर रहे हैं।

जवर सिंह ने बताया कि दूध से प्राप्त राशि से परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से हो रहा है। अब हमें मजदूरी करने के लिए भटकना नहीं पड़ता जिससे अब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्कूल भी जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि दूध विक्रय से मिली राशि से बचत के रूप में प्राप्त राशि से एक गाय खरीदी है अब गायों के साथ बछड़े और बछिया भी पल रहे हैं। जिससे निकट भविष्य में निश्चित ही आय प्राप्त होगी। जवर सिंह कहते हैं कि पशुधन से दूध उत्पादन तो होता ही है साथ ही साथ गोबर भी प्राप्त होता है। गाय के गोबर और चारे के अवशिष्ट से खाद बनाई जाती है। जिसका उपयोग कृषि भूमि में होता है। जवर सिंह ने कहा कि गाय के आने से घर में खुशियाँ आ गई हैं और नाम के अनुरूप ही कामधेनु परियोजना ने हमें काम और पैसा दोनों ही देकर हमारे जीने की राह का तरीका दोनों बदल दिया है।

❑ अनुराधा गहरवाल

(पिछले पृष्ठ का शेष)

पहले वे कभी अकेली अपने गाँव से निकलकर बाहर नहीं गईं लेकिन डी.पी.आई.पी. से जुड़कर उनका आत्म-विश्वास और हौसला इतना बढ़ा कि उन्हें कहीं जाने, किसी से बात करने और अपनी बात कहने में उन्हें अब कोई झिझक या संकोच नहीं होता।

सम्मेलन में उपस्थित राज्य परियोजना इकाई के मॉनीटरिंग इवेल्युएशन समन्वयक श्री मनोज सक्सेना ने डी.पी.आई.पी. परियोजना के उद्देश्यों, क्रियान्वयन एवं राज्य स्तरीय प्रगति से अवगत कराया।

जिला परियोजना प्रबंधक श्री हरीश दुबे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि परियोजना का काम सागर जिले के 3 विकासखण्डों के 252 गाँवों में किया जा रहा है। अभी तक महिलाओं के 1 हजार 700 समूह बनाये गये हैं तथा लगभग 10 करोड़ रुपयों की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिले में अभिनव प्रयास के रूप में पॉली मल्चिंग से सब्जी की खेती, ड्रिप सिंचाई, पाल्मारोसा एवं लेमन ग्रास उत्पादन, हल्दी प्याज की खेती एवं डेयरी के काम हैं।

❑ आर.बी. त्रिपाठी

शिक्षित कृषक ने आधुनिक कृषि के लिए गांव वालों को प्रेरित किया

शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षित व्यक्ति यदि शिक्षा प्राप्त कर शहरों में छोटी-मोटी नौकरी नहीं करके गांव में ही अपने परम्परागत व्यवसाय को अपनाए तो वह व्यवसाय दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ऐसा ही रायसेन जिले के कारीतलाई गांव के शिक्षित युवक श्री नरेन्द्र कुमार के साथ हुआ। श्री नरेन्द्र कुमार बी.काम. की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के साथ वे गांव में कृषि करते हैं। वे जब तक परम्परागत तरीके से कृषि करते रहे उन्हें अधिक लाभ नहीं हुआ। कृषि विभाग के अधिकारी श्री एस.एल. राय ने मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के तहत कारीतलाई गांव में कृषि की आधुनिक तकनीक एस.आर.आई. पद्धति से बुवाई का एक एकड़ का प्रदर्शन प्लाट लगाना चाहा। श्री नरेन्द्र कुमार इस प्रदर्शन प्लाट के लिए सहर्ष तैयार हो गए। प्रदर्शन प्लाट से उन्हें कृषि की आधुनिक पद्धति का पूरा ज्ञान मिला। श्री नरेन्द्र कुमार ने प्रदर्शन प्लाट के साथ-साथ अपनी पूरी सवा दो एकड़ जमीन में एस.आर.आई. पद्धति से धान लगाई।

इस पद्धति में 10 इंच की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। इससे बीज भी कम लगते हैं और खाद और दवाइयाँ भी कम लगती हैं, लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। श्री नरेन्द्र कुमार ने कृषि की आधुनिक पद्धति के ज्ञान का पूरा लाभ लिया। उनके सवा दो एकड़ खेत से 55 क्विंटल धान हुई जो पूर्व में 35-40 क्विंटल होती थी। अब वे इसी पद्धति से गेहूं लगा रहे हैं। उनका अनुमान है कि गेहूं का उत्पादन भी पहले से डेढ़ गुना ज्यादा होगा। वे जैविक खेती करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें नाडेप टॉका और नाडेप वर्मी पिट बनाने की सलाह दी गई है। श्री नरेन्द्र कुमार कृषक प्रशिक्षण में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वे अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र भी लेना चाहते हैं। श्री नरेन्द्र की उन्नति से प्रेरित होकर गांव के अन्य कृषक भी कृषि की आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं।

❑ चन्द्रशेखर साकल्ले

नंदी शाला योजना से बड़े पशुपालक बने महेन्द्र

आगे बढ़ने की ललक हो और उसे पूरा करने के लिये सरकार का सहारा मिल जाये, तो कुछ अच्छा ही होता है। ऐसा ही कुछ सिवनी जिले के डूंडासिवनी के रहवासी महेन्द्र के साथ हुआ। कल तक महेन्द्र अपने पास उपलब्ध 7-8 देशी गाय के दूध को बेचकर जैसे-तैसे गुजर कर रहे थे। आज शासन की 'नंदी शाला' योजना की मदद से वे अपने इलाके के बड़े पशुपालक बन गये हैं। उनका सालाना शुद्ध लाभ 40 हजार हो गया है।

पाँच साल पहले महेन्द्र जीवन की गाड़ी को जैसे-तैसे खींच रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वह स्थानीय पशुपालन विभाग के कार्यालय से परामर्श करें। महेन्द्र दूसरे ही दिन विभागीय अधिकारी से मिले, जिन्होंने उसकी रुचि देखकर उसे नंदी शाला योजना के अंतर्गत "साहीवाल" सांड प्रदाय कर हितग्राही बना लिया। सांड को प्रथम दो माह की अवधि का संतुलित पशु आहार भी विभाग ने ही उपलब्ध करवाया। आज सांड से प्राकृतिक गर्भाधान से गर्भित महेन्द्र की गायों की संख्या 30 से 35 हो गई है। इन गायों का दूध बेचकर महेन्द्र को पिछले साल 40 हजार की शुद्ध आय हुई। महेन्द्र अब अपने इलाके के बड़े पशुपालक बन गए हैं। वे आस-पास के पशुपालकों को भी अपनी गायों का प्राकृतिक गर्भाधान कराकर उन्नत नस्ल वृद्धि के लाभ लेने के लिए बढ़ावा देते हैं।

जल संरक्षण की मिसाल बना दौरियाखेड़ा

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास का पर्याय बन गई है। योजना से एक ओर जहाँ मजदूरों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर योजनान्तर्गत बन रही अधोसंरचनाएँ किसानों एवं अन्य ग्रामीणजनों को लाभान्वित कर रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में काफी प्रभावकारी कार्य किये जा रहे हैं। जल संरक्षण की ऐसी ही एक बानगी छिन्दवाड़ा जिले की विकासखण्ड तामिया की ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा में देखने को मिली जहाँ निस्तारी तालाब ने सिंचाई की समस्या हल कर दी है। दौरियाखेड़ा में मनरेगा योजना के तहत बनाये गये निस्तारी तालाब से किसानों को सिंचाई के लिए पानी तो मिल ही रहा है साथ ही साथ जानवरों के पीने और नहाने के लिए भी पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा के सचिव श्री प्रकाश साहू ने बताया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा में 4.98 लाख रुपये की लागत से निस्तारी तालाब का निर्माण कराया गया है। तालाब निर्माण कार्य में ग्राम के ही मजदूरों को रोजगार दिया गया।

उन्होंने कहा कि लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में तालाब के पानी से वर्षभर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और तालाब में पानी होने से ग्राम में भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है और गाँव के अधिकतर कुओं और हैण्डपंपों में भी खूब पानी आ रहा है। ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा के किसान रतनलाल, सीताराम, हरिलाल और मन्नूलाल ने बताया कि निस्तारी तालाब बनने से पहले तो हम सिर्फ वर्षा पर निर्भर थे और कम सिंचाई में हो पाने वाली फसलें ही उगाते थे परन्तु अब वर्ष भर सिंचाई का पानी तालाब से मिलने के कारण हम सभी तरह की फसलें उगा रहे हैं और पहले की तुलना अब अधिक उत्पादन हो रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जहाँ ग्रामीण परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन आया है वहीं योजना से अब लोगों ने जल संरक्षण का महत्व भी समझा है और उसका लाभ भी उठा पा रहे हैं।

❑ क्रांतिदीप अलूने

सी.सी. रोड ने बदला पाथर गाँव का नजारा

गाँव की पहचान वहाँ की सड़कों से होती है। यही सड़कें विकास की राह तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका उदाहरण है शहडोल जिले का गाँव "पाथर"। इस गाँव में सी.सी. रोड बनने से गाँव का नजारा ही बदल गया है। पाथर गाँव में पंच परमेश्वर योजना तथा मनरेगा स्कीम के कन्वर्जेंस से पक्की सड़क क्या बनी, लोगों की बहुतेरी समस्याएँ खत्म हो गईं। गाँव ही एक निवासी रज्जू सिंह इतने अधिक उत्साहित हैं कि वे यह कहते नहीं थकते कि बरसात के दिनों में हमारे गाँव में चारों तरफ कीचड़ हो जाने से घर से निकलना मुश्किल होता था। उनका कहना है कि जब से गाँव के अन्दर सी.सी. रोड बना है तब से इन दिक्कतों से छुटकारा मिल गया है। अब गाँव के लोग प्रसव के लिए अपने घर तक बे-रोक टोक वाहन लाने लगे हैं। फेरी वाले भी स्वयं लोगों के घरों तक पहुँचकर रोजमर्रा की सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। बरसात के दिनों में बच्चों को भी स्कूल आने-जाने की सहूलियत सड़क से हो गई है। गाँव में पक्की सड़क के निर्माण के साथ ही मार्ग के दोनों ओर नालियाँ भी बन रही हैं। इससे पानी अब सड़कों पर न बहकर नालियों में जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा शहडोल जिले की सभी पाँच जनपद पंचायत में 433 निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा जिले में 65 किलोमीटर से अधिक सी.सी. रोड निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अब तक 30 किलोमीटर से अधिक सी.सी. रोड बनवायी भी जा चुकी है।

संस्कृत के अध्ययन से भारत बनेगा सिरमौर

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों उज्जैन में संस्कृत साहित्योत्सव का शुभारम्भ करते हुए कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन से भारत दुनिया के सिरमौर राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। खजुराहो में संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने 39वें खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि खजुराहो नृत्य उत्सव की दुनियाभर में विशेष पहचान है। विगत दिनों मुम्बई में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव ने सुप्रसिद्ध सितार वादक पं. अरविन्द पारिख को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से अलंकृत किया। उन्होंने कहा कि कलाकार पत्थर को सजीव बना देता है। संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने राज्य संग्रहालय में प्रदेश के स्मारकों के अनुरक्षण पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया।

संस्कृत के अध्ययन से भारत बनेगा सिरमौर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कृत संसार की सबसे समृद्ध भाषा है और सरकार इसे जन-जन की भाषा बनाने की दिशा में हर जरूरी कदम उठायेगी। संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन से भारत दुनिया के सिरमौर राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। श्री चौहान गत दिनों उज्जैन के दशहरा मैदान में तीन दिवसीय संस्कृत साहित्योत्सव का शुभारम्भ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि

जब पश्चिमी राष्ट्रों में लोग पेड़ों की छाल और पत्ते पहना करते थे, उस समय भारत में वैदिक ऋचाओं की रचना की जा चुकी थी। विज्ञान, भूगोल, संस्कृति और आध्यात्म पर केन्द्रित एक से बढ़कर एक ग्रंथ रचे जा चुके थे। श्री चौहान ने कहा कि महाभारत के आग्नेयास्त्र और रामायण के पुष्पक विमान पर लोग भरोसा नहीं करते थे, किन्तु अब स्वयं पश्चिमी देशों के विद्वानों ने हजारों साल पहले भारत में इन आविष्कारों के होने की बात स्वीकारी है। श्री चौहान ने कहा कि संस्कृत दुनिया की सारी भाषाओं की जननी है और अपने आप में एक अद्वितीय भाषा है। तमिल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत के ऐसे शब्द पाये जाते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना और समझा जा सकता है। श्री चौहान ने कहा कि संस्कृत भाषा में ज्ञान का विशाल भण्डार छिपा हुआ है। विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में कई ऐसे तथ्य हैं, जो अब तक उद्घाटित नहीं हो सके हैं। मुख्यमंत्री ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का उल्लेख करते हुए कहा कि सबके मंगल की कामना सारी दुनिया में केवल भारत देश ने की है।

संस्कृति मंत्री ने किया खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारम्भ

संस्कृति एवं जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने इसके लिये जन-सहयोग का भी आग्रह किया। श्री शर्मा विगत दिनों खजुराहो में 39वें खजुराहो नृत्य उत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अनुसूचित-जाति कल्याण राज्यमंत्री एवं छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरिशंकर खटीक, संस्कृति सचिव श्री पंकज राग एवं कमिश्नर सागर श्री आर.के. माथुर भी मौजूद थे। संस्कृति मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि खजुराहो नृत्य उत्सव की दुनियाभर में विशिष्ट पहचान है। इस पहचान को बनाये रखने के लिये संस्कृति विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि खजुराहो के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने की इच्छा रहती है। इस उत्सव से प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य

के प्रति जन-सामान्य में एक विशेष जुड़ाव होता है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना की चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इस अभिनव योजना से प्रदेशवासी अपनी प्राचीन परम्पराओं से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्राचीन नगरी उज्जैन में इस साल संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये विश्व संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

पं. अरविंद पारिख को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान

राज्यपाल श्री रामनरेश यादव ने गत दिनों मुंबई में सुप्रसिद्ध सितारवादक पंडित अरविंद पारिख को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से विभूषित किया। यह सम्मान कुमार गंधर्व फाउण्डेशन, मुंबई द्वारा स्थापित है। राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि पंडित पारिख जैसे गुणवान कलाकार को सम्मानित कर वे स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कला से प्रेम करना कुदरत से प्रेम करना है। कलाकार पत्थर को सजीव बना देता है। राज्यपाल ने कहा कि कुमार गंधर्व ने जब सिर्फ नौ साल की उम्र में एक आश्रम में गाया

था, तो आश्रम के संत ने कहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि धरती पर साक्षात गंधर्व है। उन्होंने बालक को कुमार गंधर्व कहकर संबोधित किया। इसी के साथ शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली कुमार गंधर्व कहलाने लगे। वह शास्त्रीय के साथ-साथ लोकगीत और भजन भी उतने ही चाव से गाते थे। श्री यादव ने कहा कि कुमार गंधर्व ने राजस्थानी तथा मालवी लोकगीतों पर काफी शोध किया और अनेक शास्त्रीय राग बनाये।

स्मारकों के अनुरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित

संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने राज्य संग्रहालय में प्रदेश के स्मारकों के अनुरक्षण पर आधारित छाया-चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में स्मारकों के अनुरक्षण के पूर्व और पश्चात के छाया-चित्र लगाये गये हैं। प्रदर्शनी में ओरछा स्थित बुंदेल शासकों के काल में निर्मित श्याम दौसा की कोठी, जहाँगीर महल, नोनेजी की हवेली, सुपारी साहब का महल, टीकमगढ़ का किला गढ़कुण्डार, छतरपुर के व्यास भदोरा के मंदिर, भोपाल के सुल्तानिया इन्फेन्ट्री द्वार, शीश-महल, गोलघर, बेनजीर महल, ताजमहल, असीरगढ़ का मोती-महल, बारई ग्वालियर का रासलीला घर, गूजरी महल, नरवर का चर्च, श्योपुर के विजयपुर का किला,

धार का बुर्ज किला, सीहोर का गिन्नौरगढ़ किला, मण्डला के रायभगत की कोठी, कटनी के विजयराघवगढ़ का किला और इंदौर के तुकोजीराव की छत्री सहित अनेक स्मारकों के अनुरक्षण को छाया-चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से मिले नगरीय प्रशासन मंत्री

मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा जे.एन.यू.आर.आर.एम. के प्रथम चरण में 500 करोड़ की राशि जारी की जायेगी। राज्य सरकार इसके लिए 25 परियोजनाओं की डी.पी.आर. केन्द्र सरकार को शीघ्र ही भेजेगी। यह जानकारी गत दिनों नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ से मुलाकात करने के बाद दी।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये समूह बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना की जानकारी दे रहे हैं।

उद्देश्य- तेंदूपत्ता संग्राहकों की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों/परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- नामांकित व्यक्ति को 3500 रुपये प्रदाय किये जाते हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 25 हजार रुपये उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में 12,500 रुपये और पूर्ण विकलांग होने पर उसे या उसके उत्तराधिकारी को 25 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जाता है।

पात्र हितग्राही- 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु के सभी तेंदूपत्ता संग्राहक।

सम्पर्क- संबंधित लघु वनोपज समिति।

औषधीय पौधों के माध्यम से आर्थिक लाभ

उद्देश्य- औषधीय पौधों की खेती एवं विपणन को बढ़ावा देना।

योजना का स्वरूप व कार्य क्षेत्र- प्रोजेक्ट लागत की 30 प्रतिशत या 9.00 लाख रुपये जो भी कम हो, तक का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है।

हितग्राही चयन प्रक्रिया- कृषकों, उद्यमियों शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण राज्य औषधि पौधा बोर्ड द्वारा किया जाता है। चयनित प्रस्ताव राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड को वित्तीय अनुदान स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

पात्र हितग्राही- संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के कृषकों, उद्यमियों शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें।

संपर्क- अपर प्रबंध संचालक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधि पौधा बोर्ड कार्यालय म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, इंदिरा निकुंज नर्सरी, खेल परिसर, 74 बंगले, भोपाल (म.प्र.)।

- **संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश वितरण :** मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 15228 संयुक्त वन प्रबंध समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों के माध्यम से कुल 66,876 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास के कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश के वनों में रहने वाले निवासियों को वनोपज का पहला अधिकार इन्हीं समितियों का मानते हुये शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष काष्ठ एवं बांस का लाभांश वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत इमारती लकड़ी की शुद्ध आय का दस प्रतिशत एवं बांस की बीस प्रतिशत राशि समिति सदस्यों में वितरण की व्यवस्था है। प्राप्त लाभांश के बीस प्रतिशत की राशि का उपयोग वन विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण, उनमें अधोसंरचना का विकास एवं समिति के सदस्यों तथा वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर किया जाता है।
- **शहीद अमृतादेवी पुरस्कार** : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में किये गये विशिष्ट कार्यों हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियों में पुरस्कृत करने का प्रावधान है।

- **बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा पुरस्कार-** मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक - एफ25-8/09/10-2 दिनांक 23.05.2008 से लागू पुरस्कार की दो श्रेणियों की घोषणा की गई।

  अ. विन्ध्य क्षेत्र पुरस्कार - शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों के लिये

  प्रथम पुरस्कार रु.2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र।
  द्वितीय पुरस्कार रु.1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र।
  तृतीय पुरस्कार रु.0.50 लाख एवं प्रशस्ति पत्र।
  मरणोपरांत पुरस्कार का प्रावधान।

  ब. राज्य स्तरीय पुरस्कार दो क्षेणी- निजी भूमि पर 5 हैक्टे. से अधिक तथा 5 हैक्टे. से कम भूमि पर 5 वर्ष से अधिक उम्र से उत्कृष्ठ वृक्षारोपण हेतु।

  प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र।
  द्वितीय पुरस्कार रु. 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र।
  तृतीय पुरस्कार रु.0.50 लाख एवं प्रशस्ति पत्र।

- **वन कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री हेतु ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण**- मध्यप्रदेश शासन के संकल्प दिनांक 22.10.2001 के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध समितियों को प्राप्त लाभांश की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग विकास कार्यों में करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत वन कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री हेतु ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण किये जा रहे हैं। हॉस्टल में फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। हॉस्टल निर्माण का मुख्य उद्देश्य ऐसे वनकर्मी जो दूरस्थ वनांचलों में पदस्थ हैं, उनके बच्चों को आवश्यक उच्च शिक्षा मुहैया कराई जाना है। वर्तमान में इंदौर एवं भोपाल में हॉस्टल संचालित किये जा चुके हैं तथा ग्वालियर, जबलपुर में हॉस्टल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शनै-शनै अन्य शहरों में भी हॉस्टल निर्माण कराये जावेंगे।
- **संयुक्त वन प्रबंध समिति सदस्यों को शासन द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रदाय** - संयुक्त वन प्रबंध समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वन रक्षा के दौरान अपंगता या मृत्यु होने पर शासकीय सेवक की भांति उन्हें भी क्षतिपूर्ति प्रदाय करने का प्रावधान है। किसी सदस्य की शासकीय कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर रुपये 1.00 लाख की सहायता आश्रित को दी जाती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में36 राशन की दुकानें संयुक्त वन प्रबन्धन समिति के द्वारा संचालित की जा रही हैं। पूरे मध्यप्रदेश में 322 राशन की दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिससे 436 ग्रामों के 42557 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।
- **राशनकार्ड** - संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के द्वारा 9898 राशनकार्डों का वितरण किया जा चुका है।
- **ऊर्जा सरंक्षण के उपकरणों का वितरण**- जन भागीदारी आधारित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के सदस्यों को 12,218 एल.पी.जी. कनेक्शन, 35148 प्रेशर कुकर तथा समिति के सदस्यों को सर्दी से बचाव हेतु 62818 कम्बलों का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 390 बर्तन सेट वितरित किये गये हैं तथा मछली पालन हेतु 257 तालाबों का चयन किया गया है एवं कुल 254 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। कार्यवाही प्रगति पर है।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना

योजना : वनोपज संघ की कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में एक नई कड़ी के रूप में एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है।

उद्देश्य : इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाएँ।

पात्र : तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाए ताकि वनवासी परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

स्वरूप : योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

1. इस योजना का लाभ प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि इन पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पिछले शिक्षा सत्र में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो।
3. इस योजना में कक्षा नौ से12 तक एवं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रावीण्य सूची के आधार पर शामिल किया जायेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों के क्रय में होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल तक आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर क्लास अथवा साधारण श्रेणी का बस किराये पर यात्रा व्यय मिलने की पात्रता होगी।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें - नवम्बर 11)

पपीते की व्यावसायिक खेती से लाभ कमायें

मार्च के महीने से फसलों की कटाई शुरू हो जाती है और यदि फसलों के साथ-साथ फल उत्पादन भी करें तो इससे आर्थिक लाभ भी होगा। उच्च पोषक गुण, उत्पादन क्षमता और बाजार माँग की वजह से पपीते की खेती के प्रति कृषकों का रुझान बढ़ रहा है। व्यावसायिक दृष्टि से पपीते की संकर किस्म के बीज ज्यादा उपयुक्त होते हैं जिससे अधिक पैदावार होती है।

पंचों, आज की चर्चा हम फसलों से थोड़ा हटकर फलदार पौधों में पपीते की व्यवसायिक खेती पर केन्द्रित करेंगे। उच्च पोषक गुण, उत्पादन क्षमता तथा बाजार में मांग की वजह से पपीते की खेती के प्रति कृषकों का रुझान बढ़ रहा है।

पपीते की उन्नत किस्मों में हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, पूसा ड्वार्फ, पूसा मैजेस्टी, पूसा हेलीसियस, पूसा जॉइंट इत्यादि है। पपीते में तीन तरह के पौधे होते हैं - नर, मादा, एवं उभयलिंगी, नर एवं मादा फूल उन्नत किस्मों में अलग-अलग पौधों पर लगते हैं। लगभग दस प्रतिशत नर पौधे होना आवश्यक है। व्यवसायिक दृष्टि से संकर बीज किस्में ज्यादा उपयुक्त होती हैं। क्योंकि संकर बीजों से उत्पन्न पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। पॉलीथिन की थैलियों में गोबर की अच्छी पकी हुई खाद, मिट्टी का मिश्रण भरकर संकर किस्मों के एक-एक दानें एवं अन्य उन्नत किस्मों के दो-दो दानें डाल कर पौध तैयार करें अतिरिक्त जल के निथार के लिये पॉलीथिन की थैलियों में नीचे की ओर छेद कर देना चाहिये। लगभग 40-45 दिनों में पौधे लगाने के लायक हो जाते हैं।

एक हाथ लम्बा, चौड़ा एवं गहरा गड्ढा तैयार कर उसमें गोबर की पकी हुई खाद, मिट्टी, नीम खली, हड्डी चूरा का मिश्रण बनाकर गड्ढे की भराई करें फिर पॉलीथिन की थैली ब्लेड से काटकर इस तरह पौधा लगायें कि तने के पास पानी न रुक सके। दो गढ्डों के बीच का अन्तर लगभग तीन मीटर रखें। बाड़ियों में सिंचाई नालियों के किनारे पपीते के पौधे लगायें। पौधा जब लगान ले ले तब लगभग, यूरिया 50 ग्राम, सुपर फॉस्फेट 100 ग्राम एवं पोटाश 100 ग्राम तने से एक बीता दूर डाल कर गुड़ाई कर सिंचाई करें। रासायनिक खादों की उपरोक्त मात्रा दो खुराकों में दो-दो माह के अन्तर पर प्रयोग करें।

लगभग 8-10 माह में पपीते का पौध फल देने लगता है। फल बसंत ऋतु से पकना प्रारंभ हो जाते हैं। जो गर्मी के मौसम तक पकते रहते हैं। एक पौधे में एक डेढ़ किलो के 25-30 फल प्रथम वर्ष में प्राप्त होते हैं। पपीते की संकर एवं उन्नत किस्मों के बीज विश्वसनीय स्थान से प्राप्त करें।

बीजोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत

पंचों, **'बीज'** दो अक्षरों का यह शब्द पूरी प्रकृति, मानव, पशु पक्षियों, वनस्पतियों या यूं कहें कि सम्पूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का केन्द्र बिन्दु है। वनस्पति जगत में, फसलों के बीजोत्पादन कार्य के लगभग अंतिम पड़ाव में कटाई-गहाई का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील माना जाता है। अन्य शस्य क्रियायें जैसे- खेत की तैयारी, बोवाई, निंदाई, जल प्रबंधन, पौध पोषण, कीट ब्याधि नियंत्रण तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन फसल की कटाई-गहाई का कार्य, सर्वाधिक सावधानी से संपन्न किये जाने वाले कार्यों में शामिल है। इस कार्य में थोड़ी सी भी लापरवाही या असावधानी पूरे मौसम की मेहनत व लागत पर पानी फेर सकती है और आपके द्वारा उत्पादित बीज, बीज की श्रेणी से बाहर आकर, अनाज की

श्रेणी में आ सकता है। जिसका पहला और तत्कालिक नुकसान यह है कि आपको अपने उत्पादन का मूल्य कम मिलेगा। दूसरे और दीर्घकालिक नुकसान में आपके जिले, प्रदेश और देश में बीज का अभाव होगा।

बीजोत्पादन वाली फसल से कटाई के पूर्व भिन्न पौधों या बालियों को निकाल कर अलग करना अत्यावश्यक क्रिया है। इसे शस्य विज्ञान की भाषा में **रोगिंग** कहा जाता है। इससे बीज की भौतिक एवं अनुवांशिक शुद्धता बरकरार रहती है। यह फसल की अलग-अलग तीन अवस्थाओं में की जाती है। पहला-फूल आने के पूर्व, सामान्य से ऊँचे-छोटे पौधों को निकालना चाहिये। दूसरा फूलों के रंग एवं पत्तियों की बनावट देखकर, फूल की अवस्था में करना चाहिये। अंतिम एवं तीसरी **रोगिंग** दाना पकने पर, कटाई के पूर्व, बालियाँ, फल्लियों के रंग एवं पौधों की ऊँचाई के अनुसार निकाल कर अलग करना चाहिये।

कटाई के बाद, फसल के खलिहान तक परिवहन के दौरान, यह सावधानी बरती जाये कि अन्य फसलों या किस्मों के दानें या बालियाँ, बीज वाली फसल में न मिलने पायें। इसके लिये ट्रैक्टर ट्राली की अच्छी तरह सफाई कर लें। खलिहान में ढेर लगाते समय दो प्रजातियों के बीच पर्याप्त दूरी रखें, ताकि किसी भी प्रकार के मिश्रण की संभावना न रहे। बीज वाली फसल की गहाई सबसे पहले करें, फिर उसे साफ कर अच्छी तरह धूप में सुखा लें, अपुष्ट और छोटे दानों को छन्ने से अलग कर लें, फिर सूखे हुये दानों को छाये में ठण्डा करने के बाद बोरों में भरें। बीज उत्पादक संस्थायें, कृषकों को खाली बोरे देने के पूर्व, बोरों को मेंलाथियान 50 प्रतिशत ई.सी. 5 मि.ली. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर लें। इससे बोरों में मौजूद कीटों की विभिन्न अवस्थायें नियंत्रित होंगी। प्रक्रिया केन्द्र तक पहुँचाने के लिये अलग-अलग फसलों की अलग-अलग तारीखें (समय सीमा) निश्चित रहती है। जिनकी जानकारी प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी या बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से प्राप्त कर, निश्चित समय सीमा में बीज, प्रक्रिया केन्द्र पहुँचायें।

उपयोगी है गोबर खाद

पंचों, आज की चौपाल में हम, अपने खेतों की मिट्टी एवं फसलों के लिये संजीवनी गोबर खाद बनाने के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। गोबर की खाद तो आप सभी जानते हैं, मगर अधिकतर किसान इसे सही पद्धति से नहीं बनाते, जिसके परिणामस्वरूप खाद सही ढंग से पक नहीं पाती और कच्ची खाद खेतों में पहुँचकर मिट्टी में कई प्रकार के विकार पैदा करती है। इससे मिट्टी एवं फसलों को लाभ की बजाय नुकसान ज्यादा होता है।

अधपकी या कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग करने पर, विभिन्न प्रकार की हानिकारक फफूँद मिट्टी में पनपते है। इसके अलावा भूमिगत कीट विशेषकर दीमक एवं खरपतवारों का फैलाव, कच्ची

गोबर की खाद के प्रयोग से होता है। गोबर की खाद बनाने के लिये ज्यादातर किसान अपनी गौशाला के पास, सतह पर ही गोबर का ढेर लगाते हैं और पूरे वर्ष भर उसी ढेर पर गोबर डालते रहते हैं। यह दोषपूर्ण पद्धति है, जिससे खाद अच्छी तरह पक नहीं पाती एवं खाद में मौजूद पोषक तत्व, सूर्य की तेज रोशनी में उड़ कर नष्ट हो जाते हैं, इसके विपरीत सही ढंग से खाद बनाने के लिये अपनी गौशाला के समीप, सुविधाजनक किसी ऊँचे स्थान पर 9 फिट लंबा 5 फुट चौड़ा एवं3 फुट गहरा गड्ढा बनायें। लंबाई आवश्यकतानुसार 15 फुट तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन चौड़ाई और गहराई 5 एवं 3 फुट ही रखें। इस गड्ढे में गौशाला से निकला हुआ गोबर गौमूत्र एवं झाड़न डालते जायें। जमीन की सतह से एक फुट ऊपर तक भर जाने पर गीली मिट्टी से छाप कर, उसे पैक कर दें। एक गड्ढा भर जाने पर दूसरे का निर्माण जरूरत के अनुसार किया जा सकता है।

पंचों, अच्छी खेती के लिये गोबर का उचित प्रबंधन जरूरी है। हमारे देश में पशुधन की कमी नहीं है। **गोबर की खाद से बढ़कर अच्छी दुनिया की कोई खाद नहीं है,** सिर्फ जरूरत है, इसे अच्छी तरह से बनाने की। जमीन की सतह पर ढेर लगाने की बजाय गोबर को गड्ढे में एकत्रित करें, गड्ढे में नियंत्रित तापमान पर गोबर में मौजूद जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है, ओर पोषक तत्वों का ह्रास नहीं हो पाता, जिससे मिट्टी एवं फसलों को भरपूर पोषण प्राप्त होता है। अच्छी पकी हुई गोबर की खाद में 0.8 प्रतिशत नाइट्रोजन, 0.60 प्रतिशत स्फुर एवं 1.50 प्रतिशत पोटाश पाया जाता है। रासायनिक खादों की तुलना में गोबर की खाद में पोषक तत्व भले ही कम हैं, लेकिन इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वराशक्ति, जल धारण क्षमता एवं अन्य गुणों में वृद्धि होती है। एक बार आपको पुनः याद दिला दूँ गोबर की खाद को कभी भी सड़ी हुई खाद के नाम से संबोधित न करें, हमेशा इसे अच्छी तरह पकी हुई खाद के नाम से पुकारें।

सही व्यक्ति को सही भुगतान जरूरी

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों समाधान ऑनलाइन में गाँवों में विकास योजनाओं में भुगतान की जानी वाली मजदूरी में विलम्ब पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इसी नाराज़गी पर हमें बेरछा से मयंक दवे का एक पत्र मिला है जिसमें इस पहल का स्वागत किया गया है। ऐसा ही एक पत्र मेणीमाता से थावरिया भाई का भी मिला है जिसमें मोबाइल बैंकिंग की बात की गई है। आप भी यदि ऐसा कुछ सोचते हैं तो हमें लिखिये।

मुख्यमंत्री जी नाराजगी रंग लायेगी

सम्पादक जी! पिछले दिनों जन साधारण की समस्याओं के निराकरण वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने गाँवों में मजदूरों को मजदूरी के भुगतान न होने पर जो नाराजगी व्यक्त की है वो अब रंग लायेगी। आसपास के गाँवों में तो अब निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारी, मजदूरों को ढूंढ़-ढूंढ़ कर मजदूरी दे रहे हैं। इधर जबसे पंच परमेश्वर योजना बनी है अधिकारी आवण्टन न होने का बहाना नहीं कर पा रहे हैं।

मयंक दवे
ग्राम बेरछा (जिला शाजापुर)

मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाये

सम्पादक जी! इन दिनों ग्रामीण अंचल में होने वाले अधिकांश निर्माण कार्यों की मजदूरी ई-पेमेन्ट के माध्यम से हो रही है। अतः अब रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा प्रदेश में गाँव-गाँव में बैंक खोलने को कहा जा रहा है। इस बीच गाँवों में मजदूरी के भुगतान के लिए मोबाइल बैंकिंग की जो व्यवस्था की गई है वो भी सराहनीय है। अब जबकि गाँव वालों को सब्सिडी भी सीधे खाते में डाली जायेगी मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए।

थावरिया भाई गणपत भाई
मेणीमाता (जिला बड़वानी)

माह का पत्र

आधार कार्ड का अभियान चले

सम्पादक जी! गाँवों में अब मजदूरी से अनुदान तक सारा भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में डाले जाने का जो निर्णय केन्द्र एवं राज्य सरकार ने लिया है वो सार्थक भी है और व्यावहारिक भी। इस व्यवस्था में सरकारी योजनाओं का पैसा वास्तविक हितग्राही को ही मिले इसमें आधार कार्ड महत्वपूर्ण होगा। अतः गाँवों में आधार कार्ड बनाने का भी अभियान चलाया जाये।

शरद शुक्ला
कृष्णपुरा, देवास (म.प्र.)

चिट्ठी चर्चा

महिलाओं के प्रति अपराध और पंचायतों की भूमिका

महिलाओं के सम्मान की रक्षा का जो राष्ट्रव्यापी अभियान सरकारों और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है उसमें पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सबसे आधारभूत और प्रमुख इकाई ग्राम पंचायत भी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस आशय की चिट्ठी हमें देवास जिले की राबड़िया पंचायत के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश मालवीय ने लिखी है। मालवीय जी का मानना है कि 'मर्यादा अभियान' के अंतर्गत खुले में शौच पर यदि पाबन्दी लग जाती है तो गाँव में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के अपराध भी घटेंगे। ऐसा ही एक पत्र हमें छिन्दवाड़ा जिले के छिन्दी गाँव से परसराय परस्ते का मिला है। वे चिट्ठी में लिखते हैं कि पंचायतें प्रत्येक ग्राम सभा में कन्या छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षक के कार्य-व्यवहार की पड़ताल करें तथा सरपंच और पंचगण पंचायत क्षेत्र के कन्या छात्रावासों की जाँच के लिए भी जायें। महिलाओं के साथ दुष्कर्म वाले मामले में सबसे प्रमुख शिकायत पुलिस थानों में पीड़ित महिलाओं की एफ.आई.आर. न लिखने की सामने आती है। इस बारे में इन्दौर से श्रीमती अर्चना शर्मा ने अपनी चिट्ठी में सरपंचों से यह आग्रह किया है कि वे ऐसे मामलों में संबंधित जिला कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर पीड़ित महिला की सुनवाई सुनिश्चित करें। श्रीमती शर्मा का मानना है कि पंचायतों के इस प्रभावी हस्तक्षेप से ऐसे अपराध रोकने में मदद मिलेगी।

बात पते की -

घर घर पानी

घर-घर में नल से पहुँचे हर गांव में पानी।
स्कूली बच्चों को भी मिले पीने का स्वच्छ पानी।।
पचपन लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की -
लक्ष्य प्राप्त करने की है सरकार ने ठानी।।

प्रदीप शुक्ला
9, भवानी सागर, देवास

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश पंचायिका

1. प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2. प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	सुरेश तिवारी अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम
क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	:	विश्वमोहन उपाध्याय, आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
पता	:	पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5. संपादक का नाम	:	राजीव तिवारी
क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों, तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

मैं विश्वमोहन उपाध्याय एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

विश्वमोहन उपाध्याय
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक 1.3.2013

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

मार्च 2013 के लिए इस बार विषय है -

क्या आपकी ग्राम पंचायत में मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई?

माह की कविता

नारी का सम्मान

नारी के सम्मान को,
कृत संकल्पित सरकार।
निर्भय है नारी यहाँ -
भय की नहीं दरकार।।

मर्यादा अभियान से,
गरिमा बढ़ी अपार।
सामाजिक संताप का -
अब न रहा सरोकार।।

जननी सुरक्षा नीति से,
माँ का हुआ सत्कार।
जच्चा-बच्चा स्वस्थ हो -
दुआ यह बारम्बार।।

लाड़ली लक्ष्मी नाम है,
बेटी हुई उपहार।
बिटिया जन्म परिवार में -
सबसे बड़ा त्यौहार।।

नारी शिक्षा के लिए ,
जुट गई है सरकार।
पढ़ेगी, आगे पढ़ेगी वो -
सुखमय हो परिवार।।

श्रीमती नम्रता शाह
33, राधाकृष्ण विहार
पीपल्या हाना इन्दौर (म.प्र.)

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल